



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]
No. 338]नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 486(अ).—केन्द्रीय सरकार चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश 1957 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 है।
2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा, (पैरा 8, पैरा 11 और पैरा 21 के खण्ड (घ), (ड.) और (च) को छोड़कर जो इसके उक्त प्रकाशन की तारीख को और उस तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होंगे और पैरा 22 को छोड़कर जो उक्त प्रकाशन के 30 दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा)।

2. परिभाषाएं- इस आदेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "कारबार अनुज्ञप्ति" से इस आदेश के अधीन अनुदत्त कोई कारबार अनज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ग) "प्रमाण-पत्र" से चाय बोर्ड के किसी अधिकारी या चाय बोर्ड के अध्यक्ष, द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा इस आदेश के उपबंधों के अनुसार चाय के उद्गम को प्रदर्शित करते हुए जारी किया गया उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

- (घ) "अध्यक्ष" से चाय बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो;
- (ङ.) "वितरक" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगमित निकाय, सहकारी समिति अभिप्रेत है जो ऐसी चाय के वितरण के प्रथम चरण पर आयातित चाय के वितरण के कारबार में लगा हो;
- (च) "निर्यात" से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत से, भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;
- (छ) "निर्यातक" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगमित निकाय, सहकारी समिति अभिप्रेत है जो भारत के बाहर आयातित चाय के निर्यात सहित चाय के निर्यात के कारबार में लगा हुआ है;
- (ज) "सुरुचि युक्त चाय" से ऐसी चाय अभिप्रेत है जिसमें प्राकृतिक सुरुचि और प्राकृतिक सुरुचिकर पदार्थ मिलाये गये हैं जो प्राकृतिक स्थिति में अथवा मानव उपभोग हेतु प्रसंस्करण के बाद पौध मूल की सामग्रियों से अनन्यतः भौतिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त मानव उपभोग हेतु स्वीकार्य क्रमशः सुरुचिकर निर्मिति और एकल पदार्थ है, परन्तु सुरुचि युक्त चाय के विनिर्माण में प्रयुक्त चाय उप पैरा (फ) में यथा उपदर्शित चाय के विनिर्देशनों के अनुरूप होगी;
- (झ) "प्ररुत्र" से इस आदेश के साथ संलग्न कोई प्ररुत्र अभिप्रेत है;
- (ञ) चाय के संबंध में "भौगोलिक उपदर्शन" से ऐसा कोई उपदर्शन अभिप्रेत है जो उद्गम अथवा भारत के राज्यक्षेत्र में विनिर्मित रूप में ऐसी चाय पहचान करता है जहां ऐसी चाय की विशिष्ट क्वालिटी, ख्याति अथवा अन्य विशेषताएं उसके भौगोलिक उद्गम के लिए अनिवार्य होती हैं;
- (ट) "हरी चाय" से विनिर्मित चाय की किरम अभिप्रेत है जिसे वाणिज्यिक रूप से हरी चाय के रूप में ज्ञात है;
- (ठ) "आयात" से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान में भारत से लाया जाना अभिप्रेत है;
- (ड) "निरीक्षण अभिकरण" से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे चाय के संबंध में निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है;
- (ढ) "तुरंती चाय" से अनन्यतः कैमिलिया साइनेन्सिस (एल) ओ कुंटजे प्रजातियों की उन किरमों जिन्हें पेय के रूप में उपयोग हेतु चाय बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है की पत्तियों, डंठल और तनों तथा उनसे प्राप्त सामग्रियों तथा चाय अवशिष्ट सहित अनुज्ञप्त प्रक्रियागत सहायता से प्राप्त अवशिष्ट, यदि कोई हो, का किसी स्वीकार्य प्रक्रिया से जलीय निष्कर्षण द्वारा प्राप्त शुष्क जल में प्रकीर्णनीय ठोस अभिप्रेत है;
- (ण) "अनुज्ञप्ति प्राप्त दलाल और चाय की नीलामी का आयोजक" से चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अधीन चाय बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त चाय दलाल और चाय की नीलामी का आयोजक अभिप्रेत है;
- (त) "अनुज्ञप्तिधारी" से इस आदेश के अधीन अनुदत्त किसी कारबार की अनुज्ञप्ति का कोई धारक अभिप्रेत है;

- (थ) 'अनुज्ञापन प्राधिकारी' से अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (द) 'उद्गम का गैर अधिमानी प्रमाण-पत्र' से माल के उद्गम का साक्ष्य देने वाला उद्गम प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार की समय-समय पर विदेश व्यापार नीति में यथा उल्लिखित अधिमानी टैरिफ का कोई अधिकार नहीं मिलता है;
- (घ) 'पैकेट चाय' से इस प्रकार के इकाई पैकों अथवा आधानों में पैक की गयी चाय अभिप्रेत है जिन्हें एक ब्रांड नाम से खुदरा बिक्री के प्रयोजनार्थ सामान्यतः प्रस्तुत किया जाता है;
- (न) 'स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति' से ऐसी कोई कारबार अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जिसे इस आदेश के पैरा 8 के उप पैरा (3) के अनुसार स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति में परिवर्तित कर दिया गया है;
- (प) 'त्वरित बुइंग काली चाय' से ऐसा कोई उत्पाद अभिप्रेत है जिसे वाणिज्यिक रूप से चाय के रूप में जाना जाता है जिसमें काले रूप में विनिर्मित चाय की 80% (अधिकतम) से अधिक मात्रा के साथ चाय का 20% (अधिकतम) निष्कर्षण और/या सांद्रण अंतर्विष्ट है और जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, गर्म अथवा ठंडे जल में चाय पेय की बुइंग हेतु प्रयुक्त विनिर्देशनों के अनुरूप है;
- (फ) 'चाय' से कैमिलिया साइनेंसिस (एल) ओ कुन्टजे की पत्तियों से विनिर्मित कोई उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें हरी चाय, तुरंती चाय तथा मूल्यवर्धित उत्पाद सम्मिलित हैं जिन्हें वाणिज्यिक रूप से चाय अर्थात् पैकेट चाय, चाय बैग, सुरुचि युक्त चाय, त्वरित बुइंग काली चाय और पीने के लिए तैयार चाय (आरटीडी) के रूप में जाना जाता है, जो यथास्थिति काली चाय, हरी चाय, कांगड़ा चाय के निम्नलिखित विनिर्देशनों के अनुरूप होते हैं :-

मापदंड	हरी चाय	काली चाय	कांगड़ा चाय	इंस्टेंट चाय
कुल ऐश, मात्रा के अनुसार प्रतिशत	4.0% और 8.0% के बीच	4.0% और 8.0% के बीच	4.5% और 9.0% के बीच	अधिकतम 20.0%
अम्ल में अघुलनशील ऐश, मात्रा के अनुसार प्रतिशत	अधिकतम 1.0%	अधिकतम 1.0%	अधिकतम 1.2%
जल में घुलनशील ऐश की क्षारीयता (के 2 ओ के रूप में) मात्रा के अनुसार प्रतिशत	1.0% और 2.2% के बीच	1.0% और 2.2% के बीच	1.0% और 2.2% के बीच
कुल ऐश की जल	न्यूनतम 40.0%	न्यूनतम 40.0%	न्यूनतम 34.0%

में घुलनशील ऐश, मात्रा के अनुसार प्रतिशत				
जल में घुलनशील निष्कर्षण, मात्रा के अनुसार प्रतिशत	न्यूनतम 32.0%	न्यूनतम 32.0%	न्यूनतम 23.0%
अपरिष्कृत फाइबर तत्व, मात्रा के अनुसार प्रतिशत	अधिकतम 17.0%	अधिकतम 17.0%	अधिकतम 18.5%
मात्रा के रूप में कुल केटेचिन्स प्रतिशत	न्यूनतम 9.0%	-	-	---
नमी तत्व % (एम/एम) अधिकतम	-	-	-	6.0%
अतिरिक्त आवश्यकताएं - धात्विक संदूषण				
सीसा मिग्रा०/किग्रा० अधिकतम	10.0	10.0	10.0	
तांबा, मिग्रा०/किग्रा. अधिकतम	150.0	150.0	150.0	
अतिरिक्त आवश्यकताएं - कीटनाशी अपशिष्ट एम आर एल (पी पी एम)				
इथिऑन 50 % इ सी, (अधिकतम)	5.0	5.0	5.0	
क्यूनेलफोस 41 % एस एल (अधिकतम)	0.01	0.01	0.01	
डिकोफोल, (अधिकतम)	5.0	5.0	5.0	
ग्लाइफोसेट (अधिकतम)	1.0	1.0	1.0	
फेंजाक्वीन (अधिकतम)	3.0	3.0	3.0	
अतिरिक्त आवश्यकताएं - माइकोटॉक्सिन				
एफ्लॉटॉक्सिन (मिग्रा०/किग्रा०)	0.03	0.03	0.03	

(ब) "चाय बैग" से फिल्टर पेपर, नायलोन नेट/अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के अनुरूप किसी अन्य स्वीकार्य सामग्री से बने बैगों में रखी हुई चाय के पैकेट अभिप्रेत है जो ठंडे अथवा गर्म पानी में ऐसे बैगों को सीधे डुबोकर चाय का पेय तैयार करने के लिए होते हैं और वाणिज्यिक रूप से टी बैग के रूप में ज्ञात हैं।

(भ) "चाय बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है;

(म) "चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश" से अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 अभिप्रेत है;

(य) "चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश" से अधिनियम की धारा 30 के अधीन अधिसूचित चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959 अभिप्रेत है।

(य क) इस आदेश के अधीन प्रयोग किए गए परिभाषित न किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ हैं जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उनके लिए हैं।

3. वितरकों और निर्यातकों द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति का अभिप्राप्त किया जाना

कोई वितरक और कोई निर्यातक इस आदेश के उपबंधों के अनुसार प्राप्त किए गए किसी व्यावसायिक अनुज्ञप्ति के बिना आयातित चाय के वितरण का कारबार नहीं करेगा और आयातित चाय का निर्यात नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि जहां किसी अभिकर्ता ने अनुज्ञप्ति ले ली है, वहां विदेश में उसके मालिकों से इस आदेश के अधीन निर्यातकर्ता के रूप में पृथक अनुज्ञप्ति लेने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु यह भी कि निम्नलिखित द्वारा निर्यातित चाय के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी:-

- (क) केन्द्रीय सरकार या चाय बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से,
- (ख) डाक पार्सलों के माध्यम से,
- (ग) यात्रियों के निजी सामान के रूप में,
- (घ) किन्हीं गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए,
- (ङ) विदेशी क्रेताओं द्वारा नमूनों के तौर पर

4. व्यापार अनुज्ञप्ति या स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन:-

(1) कारबार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक निर्यातक और प्रत्येक वितरक प्ररूप "क" में दो प्रतियों में अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन को करेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारी निर्यातक जो अपनी कारबार अनुज्ञप्ति को स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति में परिवर्तित करने का इच्छुक है एक कारबार अनुज्ञप्ति की वैधता के समाप्त होने से तीन माह पूर्व प्ररूप "ख" में दो प्रतियों में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

5. भौगोलिक उपदर्शन के रूप में अभिहित चायों के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

प्रत्येक आवेदक जो इसके द्वारा निर्यातित अथवा वितरित की जाने वाली उस चाय के संबंध में उद्गम का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक है जो भारत में किसी चाय उत्पादक क्षेत्र में उत्पादित और विनिर्मित की गयी हो और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन के रूप में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप " ग " में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दो प्रतियों में आवेदन करेगा ।

6. गैर-अधिमानी उद्गम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

प्रत्येक निर्यातक जो चाय निर्यातों के प्रत्येक परेषण के संबंध में गैर-अधिमानी उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक है, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत/अनुमोदित किसी निरीक्षण अभिकरण को प्ररूप " घ " में दो प्रतियों में आवेदन करेगा;

परन्तु यदि ऐसा उद्गम प्रमाण-पत्र जो विदेशी क्रेता से अपेक्षित न हो तो निर्यातक चाय के पोतलदान से पहले आयातकर्ता द्वारा जारी किया गया इस आशय का एक दस्तावेज अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

7. गैर-अधिमानी उद्गम संबंधी नियम

गैर अधिमानी उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक निर्यातकर्ता से पहले निर्यात के लिए अभिप्रेत चाय के उद्गम संबंधी निम्नलिखित नियमों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करेगा और प्ररूप " ड " में यथानिर्दिष्ट उद्गम प्रमाण पत्र के साथ संबद्ध टिप्पणों में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(1) भारत से चाय का कोई निर्यातकर्ता अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत संयुक्त अनुज्ञप्ति नियंत्रक से कम स्तर का न हो, अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित किसी निरीक्षण अभिकरण से उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि ऐसी चाय निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त के अधीन उद्गम अपेक्षा के अनुरूप हो :-

(क) इस पैरा के उप पैरा (2) में यथा परिभाषित भारत में पूर्णरूपेण उत्पादित अथवा अभिप्राप्त चाय;

अथवा

(ख) चाय जो भारत में पूर्ण रूपेण उत्पादित अथवा प्राप्त न हो परन्तु उक्त चाय इस पैरा के उप पैरा (3) के अधीन हकदार हो ।

(2) पूर्ण रूपेण उत्पादित अथवा प्राप्त:- इस पैरा के उपपैरा (1) के खंड (क) के अर्थातर्गत उस चाय को भारत में पूर्ण रूपेण उत्पादित अथवा प्राप्त समझा जाएगा यदि उक्त चाय का विनिर्माण केवल भारत में उगाई गई केमेलिया सिनेंसिस (एल) ओ कुंटजे की पत्तियों से विनिर्मित हो ।

(3) पूर्ण रूपेण उत्पादित अथवा प्राप्त न की गई- इस पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (ख) के अर्थातगत उस चाय को भारत में पूर्णरूपेण उत्पादित अथवा प्राप्त नहीं समझा जाएगा यदि उक्त चाय का कोई भाग भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर उगाई गई केमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ कुंटजे की पत्तियों से विनिर्मित हो परन्तु मिश्रण (ब्लेंडिंग सहित) विनिर्माण अथवा उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया भारत के भीतर पूरी की गयी हो ।

8. निर्यातकर्ताओं को कारबार अनुज्ञप्ति/स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति अनुदत्त किया जाना और इन्कार किया जाना

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदक को कारबार अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इन्कार कर सकेगा है और उस पर पारित आदेश की एक प्रति उसे प्रस्तुत करेगा:

परन्तु इन्कार करने का कोई आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई करने का एक अवसर दिया जाएगा ।

(2) जहाँ उप-पैरा (1) के अधीन कारबार अनुज्ञप्ति के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया गया है, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को प्ररूप ' च ' में कारबार अनुज्ञप्ति देगा है ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर जारी की गयी कारबार अनुज्ञप्ति को स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति में परिवर्तित कर सकेगा है यदि:

(क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी एक निर्यातकर्ता है;

(ख) ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने चाय अधिनियम, 1953 अथवा चाय नियम, 1954 अथवा चाय बोर्ड उप नियम 1955 अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया हो; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिमान्य कारबार अनुज्ञप्ति रखने वाले निर्यातक के पास चाय के निर्यात की मात्रा चाय 1,00,000 किय्रा0 वार्षिक से कम नहीं थी ।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी आवेदक को स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इन्कार कर सकेगा है और उसे इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति देगा ।

परन्तु इन्कार करने का कोई आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा ।

(5) जहाँ स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति के लिए एक आवेदन को पैरा 4 के अधीन अस्वीकृत नहीं किया जाता है वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को फार्म ' छ ' में स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा ।

9. वितरक को कारबार अनुज्ञप्ति अनुदत्त किया जाना अथवा इनकार किया जाना

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदक को कारबार अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकती है और इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति उसे देगा ।

परन्तु इनकार करने का कोई आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा ।

(2) जहाँ उप-पैरा (1) के अधीन कारबार अनुज्ञप्ति के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया गया है, वहाँ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आवेदक को प्ररूप "ज" में कारबार अनुज्ञप्ति देगा ।

10. भौगोलिक उपदर्शन के रूप में विनिर्दिष्ट चायों के लिए उद्गम प्रमाण पत्र देना अथवा इनकार करना

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का कोई अधिकारी, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संयुक्त अनुज्ञप्ति नियंत्रक से कम स्तर का न हो, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदक को उद्गम प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार कर सकेगा और उसे इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति देगा ।

परन्तु इनकार करने की कोई आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा ।

(2) जहाँ उप-पैरा (1) के अधीन उद्गम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाता है, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का कोई अधिकारी, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संयुक्त अनुज्ञप्ति नियंत्रक से कम स्तर का न हो, यह समाधान करने के पश्चात कि आवेदन पैरा 5 के अधीन अधिकथित अपेक्षाओं और उन संविदाजात बाध्यताओं के अनुरूप है जो आवेदक की ऐसी चाय के आयातकर्ता के पास हैं, आवेदक को प्ररूप "झ" में चाय का उद्गम प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा ।

11. गैर अधिमानी उद्गम प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया जाना और इंकार किया जाना

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का कोई अधिकारी, जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संयुक्त अनुज्ञप्ति नियंत्रक से कम स्तर का न हो अथवा कोई निरीक्षण अभिकरण, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी निर्यातक को उद्गम प्रमाण पत्र अनुदत्त करने से इंकार कर सकता है और उसे इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति देगा ।

परन्तु इनकार करने का कोई आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा ।

(2) जहाँ उप पैरा (1) के अधीन किसी निर्यात परेषण के संबंध में उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने करने से इनकार नहीं किया जाता है, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का कोई अधिकारी जो संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक के पद के स्तर से कम का न हो अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित रूप से कोई निरीक्षण अभिकरण इस बात का समाधान होने के पश्चात कि आवेदन पैरा 7 के अनुसार उद्गम नियमों और संविदात्मक बाध्यताओं, जो निर्यातक पर ऐसी चाय के आयातक के साथ है, के अनुरूप है, को वह प्ररूप "ड." में परेषण के संबंध में निर्यातकर्ता को इसका उद्गम प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा ।

परन्तु जब कभी अनुमोदित निरीक्षण अभिकरण किसी कारबार अनुज्ञप्ति को उद्गम प्रमाण पत्र जारी करता है तो अन्य सभी सहायक दस्तावेजों के साथ उसकी एक दूसरी प्रति उक्त निरीक्षण अभिकरण द्वारा ऐसा उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने के 24 घंटे के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी अथवा इस संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी को दी जाएगी ।

12. कारबार अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि: (1) किसी निर्यातकर्ता के लिए प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्ति उसे जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्ति को एक बार नवीकृत करने के बाद भी वह नवीकरण की तारीख से तीन वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगी । जब तक कारबार अनुज्ञप्ति को विधिमान्यता अवधि के दौरान रद्द अथवा निलंबित नहीं कर दिया जाता है ।

(2) किसी निर्यातकर्ता के लिए प्रत्येक स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य बनी रहेगी जब तक उसे पश्चातवर्ती रूप में रद्द या निलंबित नहीं कर दिया जाता है ।

(3) किसी वितरक के लिए प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्ति तक तक विधिमान्य बनी रहेगी जब उसे पश्चातवर्ती रूप में रद्द अथवा निलंबित नहीं कर दिया जाता है ।

13. उद्गम प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अवधि: (1) उक्त पैरा 10 के उप पैरा (2) और उक्त पैरा 11 के उप पैरा (2) के अधीन जारी उद्गम प्रमाण - पत्र केवल निर्यात की जाने वाली चाय के प्रमाण के संबंध में ही विधिमान्य होगा ।

(2) उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी उद्गम का कोई प्रमाण पत्र निर्यातकर्ता की कारबार अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होने तक अथवा 60 दिन भी समाप्ति तक इनमें से जो भी पूर्वता हो, विधिमान्य होगा ।

14. कारबार अनुज्ञप्ति का नवीकरण: (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, उसे दो प्रतियों में आवेदन दिए जाने के पश्चात किसी कारबार अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा । नवीकरण के लिए ऐसा प्रत्येक आवेदन प्ररूप (अ) में प्रस्तुत किया जाएगा और प्ररूप " ट " में उसका नवीकरण अनुदत्त किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक जो निर्यातकर्ता है ऐसा अनुज्ञप्ति धारक जिसकी कारबार अनुज्ञप्ति को पैरा 8 के उप पैरा (5) के अधीन स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति में परिवर्तित कर दिया गया है, को अपनी कारबार अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पैरा 8 के उप पैरा (4) के अनुसार किसी कारबार अनुज्ञप्ति को स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति में परिवर्तित करने से इनकार करने करने की दशा में निर्यातकर्ता प्ररूप (अ) में अपनी कारबार अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

15. कारबार अनुज्ञप्ति या स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किया जाना - पैरा 8 या पैरा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस आदेश के अधीन जारी की गई या नवीकृत किसी भी कारबार अनुज्ञप्ति पर सचिव द्वारा अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो चाय बोर्ड के अनुज्ञापन नियंत्रक के स्तर से कम का न हो, तथा जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर किए जा सकते हैं ।

16. उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना- उपर्युक्त पैरा 10 या पैरा 11 या पैरा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस आदेश के अधीन जारी किए गए उद्गम संबंधी किसी भी प्रमाण-पत्र पर सचिव द्वारा अथवा चाय बोर्ड के ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक के स्तर से कम का न हो, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी निरीक्षण अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेगा।

17. फीस- कारबार अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने या उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित फीस (नकद/डिमांड ड्राफ्ट में रूपए देय) होगी, अर्थात् :-

निर्यातकों के लिए फीस:

(क) पहलीबार तीन वर्ष की विधिमान्यता अवधि के लिए जारी किया गया तत्पश्चात् 3 वर्ष की विधिमान्यता अवधि के लिए नवीकरण - 1000/-रूपए;

(ख) स्थाई कारबार अनुज्ञप्ति में परिवर्तित करने के लिए 2500/-रूपए

वितरकों के लिए फीस:

ऐसी कारबार अनुज्ञप्ति के लिए जिसका नवीकरण करने की आवश्यकता नहीं है - 2500 रूपए/- उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र के लिए फीस - 100/-रूपए

18. अनुज्ञप्ति की शर्तें -

(1) प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी को व्यक्तिगत रूप से दी गई या नवीकृत की गई समझी जाएगी और कोई भी अनुज्ञप्ति बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जाएगी।

(2) जहां कोई कारबार अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार किसी अन्य व्यक्ति को बेचता या अन्यथा अन्तरित करता है, वहां, यथास्थिति विक्रेता या अन्तरिती, इस आदेश के उपबंधों के अनुसार नई कारबार अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा।

(3) यदि कोई कारबार अनुज्ञप्तिधारी अपनी कारबार अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले कारबार के संबंध में किसी से भागीदारी करता है, तो वह, ऐसी भागीदारी करने से तीस दिन के भीतर, इस तथ्य की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगा और अपनी कारबार अनुज्ञप्ति को यथोचित रूप से संशोधित कराएगा।

(4) जहां, कोई भागीदारी की जाती है, वहां भागीदारी और कारबार अनुज्ञप्ति का मूल धारक उस कारबार अनुज्ञप्ति की शर्तों द्वारा आबद्ध होंगे।

(5) यदि कोई भागीदारी विघटित हो जाती है, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे विघटन से ठीक पूर्व भागीदार था अनुज्ञापन प्राधिकारी को, विघटन से तीस दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट भेजेगा।

(6) प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्तिधारी, चाय बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए अपनी अनुज्ञप्ति पेश करेगा।

(7) यदि किसी कारबार अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान कारबार अनुज्ञप्तिधारी कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहता है, जिसके लिए उस आवेदन में जिसके आधार पर तत्समय प्रवृत्त अनुज्ञप्ति दी गई थी, दी गई विशिष्टियों में उपान्तरण करना आवश्यक है तो वह कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व अपना आशय अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रज्ञापित करेगा और अपनी कारबार अनुज्ञप्ति को यथोचित रूप में संशोधित कराएगा। संशोधन फीस के बिना किया जाएगा और संशोधित कारबार अनुज्ञप्ति मूल कारबार अनुज्ञप्ति की अवधि के शेष भाग के लिए विधिमान्य होगी।

(8) प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के निदेशों का पालन करेगा।

19. कारबार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पैकिंग आदि के संबंध में कतिपय अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना:

प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्तिधारी, चाय के आधानों को पैक करने तथा चिन्हांकित करने के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक आधान पर, जिसमें चाय पैक की गई है, ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ख) प्रत्येक आधान इस प्रकार पैक और सील किया जाएगा कि उसकी अन्तर्वस्तु में, आधान में दृश्यमान रूप में खोले बिना कोई फेरफार न की जा सके।

(ग) निर्यात के लिए थोक में पैक की गई चाय के आधान में लगाई कीलों को छोड़कर प्लाइवुड के सभी पेनल, पट्टियों के आवरण, फिटिंगें, लाइनिंग तथा कीले भारतीय मानक संस्था, द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होंगी और कीलों को छोड़कर बाकी सभी संघटकों पर आई0एस0आई0 के प्रमाणन चिह्न रूप होगा:

परन्तु इस उपखण्ड की कोई बात निम्नलिखित में से किसी को लागू नहीं होगी:-

- (i) जहां ऐसा आधान, चाहे वह प्लाइवुड का बना हो, आकार के संबंध में उन विशेष विनिर्देशों के अनुरूप होगा है जो चाय बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, या अन्यथा जैसे क्रेताओं द्वारा यथा अपेक्षित हों;
- (ii) जहां ऐसा आधान लकड़ी से बना है न कि प्लाइवुड के पट्टियों से, और
- (iii) जहां, ऐसे आधान में शुद्ध 20 किग्राम से अनधिक या अन्य ऐसे भार में चाय, है जिससे वह केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए "पैकेज चाय" बन जाती है।

(घ) निर्यात के लिए थोक चाय पैक करने के लिए चाय पेटियों का माप 40x50x60 से.मी. या 40x40x50 सेमी. या 40x40x60 सेमी. या 48x48x60 सेमी. होगा।

(ड.) निर्यात हेतु प्रपुंज में पैक की गई चाय को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों के अनुसार बहुपरत के कागज के बोरों में पैक किया जाएगा ।

परन्तु इस उपखण्ड में उल्लिखित कोई भी बात, निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता द्वारा सहमत विनिर्देशों अथवा माप पर लागू नहीं होगी ।

(च) किसी भी निर्यातक को 'थोक चाय' तब तक निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वह उपखण्ड (ग) में उल्लिखित से पुष्टि नहीं करेगी तथा व्यक्ति या कम्पनी ऐसी चाय की पैकिंग करते समय पेट्टी पर तथा संबंधित कागजातों में यह उल्लेख नहीं करेगा कि ये अनुस्तर पैकिंग हैं ।

20. पैरा 19 के कतिपय उपबंधों का लागू न होना:- खंड 19 के उपखण्ड (ख) तथा उपखण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे आधानों में, जो (प्लाइवुड से भिन्न) पैकिंग सामग्री से बनाए गए हैं और जिनके संबंध में निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच सहमति हो गई है तथा जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत किए गए हैं, थोक में चाय के परेखणों के निर्यात को लागू नहीं होगी ।

21. चाय वितरण और निर्यात पर निर्बन्धन: कोई भी निर्यातकर्ता अथवा वितरक, स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, विक्रय के लिए किसी ऐसी चाय का वितरण या निर्यात नहीं करेगा -

- (क) जो इस आदेश में अधिकथित रीति से पैक और चिह्नित नहीं की गई; या
- (ख) जो अपमिश्रित है, या
- (ग) जिसके लेबल या आधान पर कोई ऐसा कथन है, जिसमें ऐसी चाय के संबंध में मिथ्या दावा किया गया है या जो किसी तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है या भ्रामक है; अथवा
- (घ) जो इस आदेश के पैरा 2 के खण्ड (फ) में उल्लिखित चाय हेतु विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है;
- (ड.) निर्यात के लिए आयातित चाय का निर्यात देश में आयात की तारीख से छः मास के भीतर किया जाएगा ।
- (च) आयातित चाय के निर्यात से कम से कम 50% मूल्यवर्धन होगा ।

स्पष्टीकरण

1. निर्यातित चाय अथवा निर्यात के उद्देश्य से आयातित चाय को इस आदेश के पैरा 2 के खण्ड (फ) में उल्लिखित विनिर्देशों अथवा परेषिती द्वारा अनुबद्ध विनिर्देशों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुरूप होना अपेक्षित है ।

2. चाय को अपमिश्रित समझा जाएगा यदि:-

- (क) ऐसी चाय की प्रकृति या पदार्थ वह नहीं है जो उससे तात्पर्यित या प्रदर्शित होता है;

- (ख) ऐसी चाय में कोई ऐसा अन्य पदार्थ है, जो चाय की प्रकृति, पदार्थ या क्वालिटी को हानिकर रूप से प्रभावित करता है;
- (ग) ऐसी चाय के स्थान पर पूर्णतः या भागतः कोई घटिया या सस्ती वस्तु रखी जाती है जिससे उसकी प्रकृति, पदार्थ या क्वालिटी पर क्षतिकर रूप से प्रभाव पड़ता है;
- (घ) ऐसी चाय में कोई ऐसा जहरीला या अन्य संघटक है, जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाता है।

3. इस उद्देश्य लिए मूल्यवर्धन होगा:

मू. व. = $100 \times \frac{(क-ख)}{ख}$, जहां
मू. व. का अर्थ मूल्य वर्धन

क का अर्थ निर्यातित चाय की इकाई एफओबी कीमत तथा
ख का अर्थ आयातित चाय की इकाई सीआईएफ कीमत से है।

22. आयातित चाय के वितरण पर निर्बन्धन:-

आयातित चाय का ऐसा कोई वितरक या निर्यातकर्ता स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से चाय का निर्यात हेतु आयात तथा वितरण नहीं करेगा -

- (क) जो इस आदेश में अधिकथित रीति से पैक और चिन्हांकित नहीं की गई; या
- (ख) जो अपमिश्रित है, या
- (ग) जिसके लेबल या आधान पर कोई ऐसा कथन है, जिसमें ऐसी चाय के संबंध में मिथ्या दावा किया गया है या जो किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है या भ्रामक है; अथवा
- (घ) जो इस आदेश के पैरा 2 के खण्ड (फ) में उल्लिखित चाय हेतु विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है;

स्पष्टीकरण

- (क) ऐसी चाय की प्रकृति अथवा पदार्थ वह नहीं है जो उससे तात्पर्यित या प्रदर्शित होता है;
- (ख) ऐसी चाय में कोई ऐसा अन्य पदार्थ है, जो चाय की प्रकृति, पदार्थ तत्व या क्वालिटी को हानिकर रूप से प्रभावित करता है;
- (ग) ऐसी चाय के स्थान पर पूर्णतः या भागतः कोई घटिया या सस्ती वस्तु रखी जाती है जिससे उसकी प्रकृति, पदार्थ या क्वालिटी पर हानिकर रूप से प्रभाव पड़ता है;

(घ) ऐसी चाय में कोई ऐसा जहरीला या अन्य पदार्थ है, जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाता है ।

23. निर्यात संविदा की मांग करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक के स्तर से कम का न हो, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, इस आदेश के किसी उपबंध के अनुपालन को सुनिश्चित करने अथवा निर्यात बाध्यताओं की अपेक्षा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत में चाय के निर्यातकर्ता अथवा संबंधित अनुमोदित निरीक्षण अभिकरण से, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत बोर्ड के ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, निर्यात से सुसंगत निर्यात संविदा तथा/अथवा अन्य दस्तावेजों की एक प्रति मांग सकता है ।

24. निर्यात पूर्व परेषण का निरीक्षण करने की शक्ति - अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का न हो अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित तथा प्राधिकृत कोई निरीक्षण अभिकरण, इस आदेश के किसी अथवा सभी उपबंधों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए (निर्यात की जाने वाली चाय क्या स्वदेशी है, आयातित है अथवा निर्यात हेतु सम्मिश्रित है) का निरीक्षण कर सकता है ।

25. भारत से चाय के पोत लदान को निवारित करने की शक्ति - अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अधिकारी जो अनुज्ञापन नियंत्रक के स्तर से नीचे का न हो जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो इस बात का संदेह होने पर कि निर्यातकर्ता द्वारा इस आदेश के किसी संविदात्मक बाध्यता दायित्वों अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, समुचित सीमाशुल्क अथवा पत्तन प्राधिकारी को अथवा पोतवणिक अथवा उसके अभिकर्ता को, भारत से चाय के परेषण की अनुमति प्रदान न करने, अथवा किसी जलयान पर परेषण के लदान को रोकने, अथवा लदान हो जाने की स्थिति में परेषण की उतराई, अथवा भेजे जा चुके परेषणों को वापस बुलाने के संबंध में निदेश जारी कर सकेगा ।

26. निर्यात संविदा का रजिस्ट्रीकरण करने की शक्ति - अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अधिकारी जो संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक के स्तर से कम का न हो तथा जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुबंध प्रक्रिया के अनुसार, इस प्रकार की निर्यात संविदा के अधीन भारत से चाय के पोत लदान से पूर्व समय-समय पर निर्यात संविदा का रजिस्ट्रीकरण कर सकता है ।

27. कारबार अनुज्ञप्ति या स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति का निलंबन या निरसन

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, निर्यातकर्ता या वितरक के रूप में किसी कारबार अनुज्ञप्ति या स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, निम्नलिखित आधार में से किसी आधार पर उक्त कारबार अनुज्ञप्ति या स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकेगा, अर्थात:

(क) कि कारबार अनुज्ञप्ति या स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति, किसी तात्विक विशिष्टि के संबंध में दुर्यपदेशन करके अभिप्राप्त की गई है;

- (ख) कि अनुज्ञप्तिधारी या स्थायी अनुज्ञप्तिधारी ने यथास्थिति चाय के निर्यात या चाय के आयात, के लिए किसी संविदा के संबंध में किसी विदेशी क्रेता अथवा विक्रेता के प्रति अपनी संविदाजन्य बाध्यताओं का पालन या अनुपालन नहीं किया है;
- (ग) चाय अधिनियम 1953, चाय नियम 1954 अथवा चाय बोर्ड उप नियम 1955 के किसी उपबंधों अथवा चाय अधिनियम 1953 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के किसी उपबंधों अथवा कारबार अनुज्ञप्ति या स्थायी कारबार अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है;
- (घ) कि स्थायी निर्यातकर्ता कारबार अनुज्ञप्ति रखने वाले निर्यातकर्ता ने लगातार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से किसी चाय का निर्यात न किया है;
- (ङ.) कि कारबार अनुज्ञप्तिधारी या स्थायी कारबार अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में असफल रहा हो;
- (च) वितरक के व्यापार का बंद होना;
- (छ) इस आदेश के किसी भी उपबंध का उल्लंघन ।
- (2) कारबार अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द करने वाला कोई भी आदेश लिखित में होगा और उसमें निलंबन अथवा रद्द करने के कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा आदेश के पारित होने के पंद्रह दिनों के भीतर कारबार अनुज्ञप्तिधारी को इसके विषय में सूचित किया जाएगा ।
- (3) जहाँ, इस आदेश के अधीन किसी कारबार अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द किया गया हो, कारबार अनुज्ञप्ति धारी कारबार अनुज्ञप्ति शुल्क की प्रतिकार या उसके प्रतिदाम अथवा ऐसे निलंबन अथवा रद्दकरण के कारण हुई क्षति के लिए चाय बोर्ड या केन्द्रीय सरकार से दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

28. उद्गम संबंधी प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्दकरण

- (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, किसी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर प्रमाण-पत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगा, अर्थात्
- (क) कि प्रमाण पत्र किसी तात्विक विशिष्टि के संबंध में दुर्यपदेशन करके अभिप्राप्त किया गया है;
- (ख) कि अनुज्ञप्तिधारी ने चाय के निर्यात के लिए किसी संविदा के संबंध में किसी विदेशी क्रेता के प्रति अपनी संविदाजन्य बाध्यताओं का पालन या अनुपालन नहीं किया है जिसके लेबल पर ऐसा कोई विवरण अथवा चिह्न है जो ऐसी चाय के लिए मिथ्या दावे के संबंध में है या जो किसी विशेष रूप में मिथ्या, भ्रामक या प्रवंचक है;
- (ग) कि इस आदेश या अधिनियम के किसी उपबंध का या अधिनियम के अधीन किसी अन्य आदेश का उल्लंघन किया गया है ।

(2) किसी उद्गम संबंधी प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें निलंबन या रद्दकरण के कारण विनिर्दिष्ट होंगे और आदेश उसके किए जाने से पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाण पत्र धारक को संसूचित किया जाएगा ।

(3) जहां कोई प्रमाण पत्र इस आदेश के अधीन निलंबित या रद्द किया जाता है, प्रमाण पत्र धारी इस बात का हकदार नहीं होगा कि वह ऐसे निलंबन या रद्दकरण के लिए चाय बोर्ड या केन्द्रीय सरकार से किसी प्रतिकर या प्रतिदाय का दावा करें ।

29. नमूने लेना

अनुज्ञापन प्राधिकारी धारित किसी स्टॉक में से एक किग्रा० से अनधिक चाय का नमूना यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं ले सकेगा या चाय बोर्ड के किसी अधिकारी अथवा किसी निरीक्षण अभिकरण को नमूना लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि क्या ऐसा नमूना चाय के लिए अधिनामित अपेक्षाओं को पूरा करता है अथवा कोई ऐसा नमूना उद्गम संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ उद्गम के नियमों के अनुपालन में है और/अथवा वह इस आदेश के किसी या सभी उपबंधों के अनुरूप है या नहीं । नमूने लेने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

30. कारबार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचना या विवरणी प्रस्तुत करना:-

प्रत्येक कारबार अनुज्ञप्तिधारी और/या प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित प्रत्येक निरीक्षण अभिकरण को मासिक विवरणी तथा समय-समय पर मांगी गई ऐसी अन्य सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी जो संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक के नीचे के स्तर का न हो, को प्रस्तुत की जाएगी ।

31. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लेखाओं आदि का रखा जाना तथा ऐसे लेखाओं आदि को प्रस्तुत किया जाना:

- (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्तिधारी को निदेश जारी कर सकेगा कि वह-
 - (क) अपने क्रयों, विक्रयों, निर्यातों या अपने कारबार से संबंधित अन्य विषयों की बाबत ऐसे अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखे जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं;
 - (ख) ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में विवरणियां या विवरण, जिनमें उसके कारबार के संबंध में ऐसी जानकारी और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं और
 - (ग) चाय बोर्ड के ऐसे अधिकारी को जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अपने कारबार से संबंधित ऐसी बहियां, ऐसे लेखाओं और अभिलेखों को निरीक्षणार्थ पेश करें, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
- (2) उपखंड (1) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई निदेश सभी वितरकों या निर्यातकर्त्ताओं को या उनके किसी वर्ग को जारी किया जा सकेगा ।

32. आदेशों और निदेशों की तामील:

अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या इस आदेश के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया या जारी किया गया कोई आदेश या निदेश -

- (क) साधारण प्रकृति के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश की दशा में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, और
- (ख) किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टि को निर्दिष्ट आदेश की दशा में ऐसे व्यष्टि पर उसकी तामील -
- (i) उस व्यष्टि को उसे परिदत्त या निविदत्त करके की जाएगी, या
- (ii) यदि वह इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त नहीं किया जा सकता तो ऐसे परिसर में जिसमें वह व्यष्टि रहता है या अपना कारबार चलाता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, बाह्य द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपका कर की जाएगी और इस बात की लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों द्वारा उस पर साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

33. निदेशों का अनुपालन:- प्रत्येक निर्यातकर्ता या वितरक को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी, जो संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक से कम स्तर का न हो, अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी निरीक्षण अभिकरण द्वारा इस आदेश के किसी उपबंधों के अधीन जारी किए गए निदेशों का उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर पालन करना होगा।

34. अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी के द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति:- अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी जो अनुज्ञापन नियंत्रक से कम स्तर का न हो, द्वारा ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिन्हें वह चाय की अपेक्षित क्वालिटी तथा पैकेजिंग सामग्री के साथ-साथ नियंत्रक आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए परेषणों को रोकने अथवा वापस लेने अथवा चाय के आयात या निर्यात से संबंधित किसी मामले सहित चाय के परेषणों से संबंधित मुद्दों के रख-रखाव, संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन के बारे में किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारियों के वर्ग द्वारा ऐसे दिशानिर्देश में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुपालन के लिए उचित समझता हो।

35. प्रवेश और तलाशी तथा अभिग्रहण आदि की शक्ति- (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत चाय बोर्ड का कोई अधिकारी, जिसका पद निरीक्षक से कम न हो, किसी भी समय ऐसी भूमि, भवन परिसर, यान, वायुयान या संयंत्र या मशीनरी में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वहाँ इस आदेश के उपबंध के उल्लंघन में चाय का भंडारण, वहन, वितरण अथवा विक्रय किया जाता है और वह इस आदेश के उपबंध के उल्लंघन में भंडारित, वहन की गई, वितरित या बेची गई प्रतीत होने वाली किसी चाय या उसके उत्पाद का अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) तलाशी तथा अभिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अंगीकृत की जाएगी:-

- (क) ऐसे स्थान पर निवास करने वाला या वहाँ के प्रभारी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण को पेश करने पर उचित रूप से प्राधिकृत अधिकारी को मुक्त रूप से प्रवेश की अनुज्ञात दी जाएगी और वहाँ तलाशी के लिए सभी युक्तिसंगत सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी ।
- (ख) तलाशी लेने से पूर्व ऐसे प्राधिकृत अधिकारी, जिस स्थान की तलाशी ली जानी है उस इलाके के या यदि उक्त इलाके का कोई ऐसा निवासी उपलब्ध न हो या तलाशी का साक्षी बनने का इच्छुक न हो तो किसी अन्य इलाके के दो या अधिक स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित निवासियों को तलाशी में उपस्थित रहने तथा उसका साक्ष्य बनने के लिए बुलाएगा ।
- (ग) तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाएगी और ऐसी तलाशी के दौरान अभिग्रहण किए गए चाय के सभी उत्पादों या संबंधित मदों और उन स्थानों, जहाँ से उन्हें प्राप्त किया गया, की सूची प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर ऐसे साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे; परन्तु इस पैराग्राफ के अंतर्गत किसी तलाशी का साक्ष्य बनने वाले किसी भी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा जब तक कि उसे विशेष रूप से समन न किया जाए ।
- (घ) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी और तैयार की गई तथा उक्त साक्षियों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को भेजी जाएगी ।
- (3) इस पैरा के अधीन कार्रवाई करने वाले किसी अधिकारी द्वारा ऐसी कार्रवाई करने के 24 घंटों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

36. निरीक्षण अभिकरण को अनुमोदित करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी एजेंसियों के अनुमोदनार्थ स्वयं द्वारा गठित तकनीकी समिति के जरिए अभिकरणों के प्रमाण पत्र पर निर्यात के लिए अभिप्रेत चाय के निरीक्षण हेतु अभिकरणों को अनुमोदित कर सकता है और ऐसी अनुमोदित अभिकरणों इस आदेश के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चाय के साथ-साथ उसके कंटेनरों/पैकों तथा निर्यात के लिए अभिप्रेत अन्य दस्तावेजों की जांच कर सकती है । ऐसी अनुमोदित अभिकरणों के कार्यों को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है ।

37. पैनल के गठन के लिए चाय आस्वादकों को अनुमोदित करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी जिसका पद संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक से कम न हो या किसी निरीक्षण अभिकरण द्वारा लिए गए नमूने में से चाय चखने के लिए पैनल का गठन करने के प्रयोजनार्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी, जिसका पद कार्यकारी निदेशक से कम न हो, द्वारा समय-समय पर चाय आस्वादकों को अनुमोदित किया जा सकता है और अनुमोदित सूची में से एक या अधिक चाय आस्वादक वाले ऐसे पैनल द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा निरीक्षण अभिकरण अथवा अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर चाय आस्वादन की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी निरीक्षण अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा चाय आस्वादक को पैनल में कार्य करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु वैध अवधि को समय-समय पर निर्धारित किया जाए;

परन्तु आगे है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी वैध अवधि के समाप्त होने से पूर्व उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी चाय आस्वादक को प्रदान किया गया अनुमोदन अवसान कर सकता है ।

38. निरीक्षण अभिकरण के अनुमोदन को निलंबित/रद्द करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर लिखित में कारण दर्ज कर के निरीक्षण अभिकरण के अनुमोदन को निलंबित/रद्द कर सकते हैं :-

- (क) कि निरीक्षण अभिकरण ने किसी विशेष सामग्री के संबंध में दुर्व्यपदेशन के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया है;
- (ख) कि निरीक्षण अभिकरण ने अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी निदेशनों का पालन नहीं किया है या अधिनियम के अंतर्गत लागू नियमों, आदेशों या मार्गदर्शनों में दिए गए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असफल रही है;
- (ग) कि इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है;
- (घ) कि निरीक्षण अभिकरण ने किसी चाय के संबंध में यह उपदर्शित करते हुए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र जारी किया है कि वह चाय इस आदेश में दिए गए विनिर्देशनों को प्रदत्त करती है जबकि वह इस आदेश में दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है;
- (ङ.) कि निरीक्षण अभिकरण ने इस आदेश में दिए गए विनिर्देशनों के साथ चाय की गैर-अनुरूपता को उपदर्शित करते हुए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र जारी किया है जबकि वह चाय ऐसे विनिर्देशनों के अनुरूप है;
- (च) कि निरीक्षण अभिकरण ने इस आदेश के पैरा 11 के अंतर्गत चाय के किसी परेषण के संबंध में उद्गम संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया है जबकि चाय का वह परेषण पैरा 7 के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुरूप नहीं है;
- (छ) कि निरीक्षण अभिकरण ने इस आदेश के पैरा 11 के अंतर्गत चाय के किसी परेषण के संबंध में उद्गम संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने से मना किया है जबकि चाय का वह परेषण पैराग्राफ 7 के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुरूप है;
- (ज) कि निरीक्षण अभिकरण ने किसी चाय परेषण के निर्यात के संबंध में यह उपदर्शित करते हुए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र जारी किया है कि वह अनुदत्त निर्यात संविदा में दिए गए निबंधों और शर्तों के अनुरूप है जबकि वह संविदात्मक बाध्यताओं के अनुरूप नहीं है ।

39. अपील:- (1) कोई आदेश जो -

- (क) अनुमोदित निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र अनुदत्त करने से इनकार करने; अथवा

(ख) अनुमोदित निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र अनुदत्त करने में विलंब के बारे में हो;

से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी इनकारी या विलंब की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपील कर सकता है ।

(2) अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी उक्त अपील का निपटान करेगा और विनिश्चय से अपीलकर्ता को अवगत कराएगा ।

(3) किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति -

(क) कारबार अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करना या कारबार अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना;
या

(ख) कारबार अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र को निरस्त करना अथवा निलंबित करना

आदेश की तारीख से तीन महीनों के भीतर केन्द्र सरकार को अपील कर सकता है ।

(4) केन्द्र सरकार अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर इसका निपटारा करेगी तथा अपीलकर्ता को निर्णय की सूचना देगी । केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

40. शिथिल करने की शक्ति - केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि स्वतः या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि इस आदेश के किसी प्रावधान के अनुपालन को प्रवृत्त करने से पर किसी अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता को लिखित में दर्ज किए गए कारणों से अनुचित कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा, इस आदेश के किसी प्रावधान से छूट दे सकता है या इस आदेश के ऐसे उपबंधों के अनुपालन से प्राप्तकर्ता को छूट प्रदान कर सकता है ।

41. इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए दंडात्मक प्रावधान - किसी निर्यातक अथवा वितरक या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने पर चाय अधिनियम 1953 की धारा 41 के उपबंध लागू होंगे ।

प्ररूप - क
(पैराग्राफ - 4(1) देखिए)

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 की धारा 4 (1) के अंतर्गत कारबार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

मूल*
द्वितीय प्रति

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
चाय बोर्ड
14, बी टी एम सरणी
(ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता - ।

महोदय,

मैं/हम* वितरक* निर्यातक/वितरक के रूप में विनिर्मित चाय का कारबार करने के लिए कारबार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

मैं/हम* आवश्यक विशिष्ट निम्नानुसार करता हूँ/करते हैं -

1. आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में) (भागीदारी फर्म की स्थिति में सभी भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)
2. पूरा पता (जिस पर पत्राचार किया जाएगा).....
3. अपेक्षित कारबार अनुज्ञप्ति का प्रकार --वितरक कारबार अनुज्ञप्ति
निर्यातक कारबार अनुज्ञप्ति
4. ऐसे विभिन्न परिसरों के, यदि कोई हों, पूरे पते जिनमें आवेदक कारबार करना चाहता है या जहाँ सम्मिश्रण और/अथवा पैकिंग की जाएगी.....
5. सांपत्तिक चिह्न.....
6. देय फीस की रकम.....

मैंने/हमने* चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 को सावधानीपूर्वक पढ़ा और समझ लिया है और एतद्वारा उक्त आदेश के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

टिप्पण: कंपनियों की दशा में, यह आवेदन सचिवों प्रबंध अभिकर्ताओं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा और भागीदारी समुत्थानों की दशा में, प्राधिकृत भागीदारों में से किसी एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और व्यष्टियों की दशा में एक मात्र स्वत्वधारी शब्द हस्ताक्षर के पश्चात् जोड़े जाने चाहिए ।

प्ररूप - ख

(पैरा 4(2) देखिए)

कारबार अनुज्ञप्ति को स्थाई कारबार अनुज्ञप्ति में सपरिवर्तिन करने के लिए चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 के पैरा 4(2) के अंतर्गत आवेदन पत्र

(अनुज्ञापन पत्र प्राधिकारी को दो प्रतियों में भेजने के लिए)

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
चाय बोर्ड,
14, बी टी एम सरणी
(ब्रेबॉर्न रोड)
कोलकाता-700001

महोदय,

मैं/हम * आपके द्वारा जारी की गयी संलग्न निर्यातक कारबार अनुज्ञप्ति सं०.....तारीखको स्थाई कारबार अनुज्ञप्ति में सपरिवर्तिन करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं :

मैं/हम* आवश्यक विवरण निम्नानुसार दे रहा हूँ/रहे हैं:-

1. आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में) (भागीदारी फर्म की स्थिति में सभी भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)
2. पूरा पता (जिस पर पत्राचार किया जाएगा).....
3. अपेक्षित अनुज्ञप्ति का प्रकार
4. ऐसे विभिन्न परिसरों के, यदि कोई हों, पूरे पते जिनमें आवेदक कारबार करना चाहता है या जहाँ सम्मिश्रण और/अथवा पैकिंग की जाएगी.....
5. सांपत्तिक चिह्न.....

मैंने/हमने* चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 को सावधानीपूर्वक पढ़ा और समझ लिया है और एतद्वारा उक्त आदेश के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

5									
6									
7									
8									
9									
10									

मैं/हम* एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने* चाय अधिनियम 1953, चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005, चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश 1959 और चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 के उपबंधों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और समझ लिया है। मैं/हम* यह भी घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे* द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास तथा सूचना के अनुसार सही है।

स्थान:

भवदीय

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

प्ररूप - घ
(पैरा - 6 देखिए)

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
चाय बोर्ड
14, बी टी एम सरणी
(ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता - 1

महोदय,

मैं/हम* निम्नांकित विवरण के अनुसार भारत से चाय के निर्यात के संबंध में उद्गम का गैर अधिमानी प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन करते हैं:-

- (1) निर्यातक का नाम, निर्यातक की कारबार अनुज्ञप्ति संख्या और जारी करने की तारीख सहित.....
- (2) परेषिती का नाम.....
- (3) गंतव्य देश का नाम.....
- (4) गंतव्य पत्तन का नाम.....
- (5) भारत के पत्तन से लदान की संभावित तारीख.....
- (6) भारत में पत्तन का नाम जहाँ से लदान किया जाना है
- (7) लदान बिल सं० तथा तारीख (यदि उपलब्ध हो).....

निम्नांकित दस्तावेज भी संलग्न हैं

- (1) बीजकों की दो प्रतियां
- (2) निर्यात उत्पाद में उपयोग मात्रा/निदेशियों का उद्गम/उपभोज्यों के ब्यौरे
- (3) विधिवत् रूप से भरा गया उद्गम के प्रमाण पत्र का प्ररूप
- (4) स्वीकार्य फीस रूपए.....

मैं/हम* एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने* चाय अधिनियम 1953, चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005, चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश 1959 और चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 के उपबंधों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और समझ लिया है। मैं/हम* यह भी घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे* द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास तथा सूचना के अनुसार सही है।

स्थान:

भवदीय

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

प्ररूप ड.

(पैरा 11 (2) देखें)

उद्गम प्रमाण पत्र (गैर अधिमानी) का प्ररूप

1. से परेषित माल (निर्यातक के कारबार का नाम, पता, देश)			संदर्भ सं० उद्गम प्रमाण पत्र (गैर अधिमानी)		
2. को परेषित माल (परेषिती का नाम, पता, देश)			(संयुक्त घोषणा प्रमाण पत्र)		
3. परिवहन के साधन और मार्ग (जहाँ तक ज्ञात हों)			4. कार्यालय प्रयोग के लिए		
5. मद संख्या	6. चिन्ह और पैकेजों की संख्या	7. पैकेजों की संख्या और किस्म वस्तुओं का विवरण	8. उद्गम का मानदंड (टिप्पणियाँ देखें)	9. सकल भार अथवा अन्य मात्रा	10. बीजकों की संख्या और तारीख
11. प्रमाणन किए गए निरीक्षण के आधार पर एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही है।			12. निर्यातक द्वारा की गई घोषणा अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त ब्यौरे और विवरण सही हैं; कि सभी माल भारत में उत्पादित की गयी थी और कि वेको निर्यात के लिए (आयातक देश का नाम) मानदंड के अनुरूप हैं।		
स्थान और तारीख, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर			स्थान और तारीख, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर		

टिप्पणियाँ1. उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

(1) भारत का कोई चाय निर्यातक उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा यदि ऐसी चाय निम्नलिखित किसी एक शर्त के अधीन उद्गम अपेक्षा के अनुरूप हो:

(क) निम्न पैरा (2) में यथा परिभाषित भारत में पूर्णरूपेण उत्पादित अथवा प्राप्त चाय; अथवा

(ख) चाय, जो भारत में पूर्ण रूपेण उत्पादित या प्राप्त न हो परन्तु उक्त चाय इस निम्न पैरा (3) के अंतर्गत पात्र हो ।

(2) पूर्ण रूपेण उत्पादित या प्राप्त:- उक्त उपपैरा (1) (क) के अर्थों के भीतर उस चाय को भारत में पूर्ण रूपेण उत्पादित या प्राप्त समझा जाएगा यदि उक्त चाय का विनिर्माण केवल भारत में उगाई गई केमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ कुंटजे की पत्तियों से विनिर्मित हो ।

(3) पूर्ण रूपेण उत्पादित या प्राप्त नहीं- इस उक्त पैरा (1) (ख) के अर्थों के भीतर उस चाय को भारत में पूर्णरूपेण उत्पादित या प्राप्त नहीं समझा जाएगा यदि उक्त चाय का कोई भाग भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर उगाई गई केमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ कुंटजे की पत्तियों से विनिर्मित हो परन्तु मिश्रण (ब्लेंडिंग सहित) विनिर्माण अथवा उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया भारत के भीतर पूरी की गयी हो ।

II. उद्गम प्रमाण पत्र के खाना 8 में की जाने वाली प्रविष्टियाँ

(क) उक्त पैरा (2) के अनुसार पूर्ण रूप से उत्पादित "भारत चाय" खाना 8 में प्रविष्ट करें ।

(ख) उक्त पैरा (3) के अनुसार भारत में पूर्ण रूपेण अनुत्पादित या अप्राप्त चाय के लिए यदि निर्यात में भारतीय चाय का हिस्सा भार के अनुसार 90 प्रतिशत से कम न हो तो "भारत चाय (चाय के भार के अनुसार 90 प्रतिशत से कम नहीं)" शब्द और यह शर्त पूरी न हुई तो "विभिन्न उद्गमों की मिश्रिम चाय और भारत में पैक की गयीं शब्द खाना 8 में निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार अलग कागज में चाय के परेषण के ब्यौरों के साथ ये शब्द प्रविष्ट करें :-

1. रजिस्टर्ड/मुख्यालय के पते सहित निर्यातक का नाम
2. रजिस्टर्ड/मुख्यालय के पते सहित आयातक का नाम
3. आई ई सी कोड संख्या
4. परेषण में चाय की सकल मात्रा (किग्रा0)
5. परेषण में चाय की शुद्ध मात्रा (किग्रा0)
6. निर्यात उत्पाद में निवेशियों के उपभोग के ब्यौरे

उद्गम के देश	विभिन्न उद्गमों की चाय की मात्रा का विवरण और निर्यात उत्पाद में उपयोग अन्य निवेशियों/उपभोज्यों का उद्गम	निर्यात उत्पाद का विवरण अर्थात् क्या बल्क या पैकेट या चाय बैग या तैयार चाय या सुवासित चाय है	पैकिंग के ब्यौरे

प्ररूप - च
(पैरा 8(2) देखिए)
चाय बोर्ड

निर्यातक के रूप में कारोबार करने के लिए कारोबार अनुज्ञप्ति
(अहस्तांतरणीय)
चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 की धारा 8(2) के अंतर्गत जारी

14, बी.टी.एम. सरणी,
(ब्रेबोर्न रोड)
कोलकाता-700001

तारीख.....
कारोबार अनुज्ञप्ति सं०.....

.....के
श्री/सवश्री*.....
..... को प्राधिकृत किया जाता है कि वह/वे चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के निबन्धनों के अनुसार निर्यातक के रूप में विनिर्मित चाय का कारोबार करे/करें ।

यह कारोबार अनुज्ञप्ति जिसमें भी सम्मिलित है, तक विधिमान्य है, जब तक चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के पैरा 27 के अधीन उस तारीख से पूर्व उसे रद्द या निलंबित नहीं कर दिया जाए ।

.....
अध्यक्ष, चाय बोर्ड
अनुज्ञापन प्राधिकारी

(जो शब्द लागू न हो उसे काट दें)

प्ररूप - छ
[पैरा 8(5) देखें]

चाय बोर्ड
14, बीटीएम सरणी
(ब्रेबोर्न रोड)
कोलकाता - 700001

प्रमाणित किया जाता है कि को चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के निबन्धनों के अनुसार निर्यातक के रूप में विनिर्मित चाय में कारोबार करने हेतु दी गई कारोबार अनुज्ञप्ति सं०..... को एतद्वारा स्थायी आधार पर कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, यदि चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 के पैरा 27 के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा इसे रद्द या निलंबित न कर दिया गया हो ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी
तारीख.....
स्थायी कारोबार अनुज्ञप्ति सं०

प्ररूप - ज
[पैरा 9(2) देखें]

चाय बोर्ड

वितरक के रूप में कारोबार करने के लिए कारोबार अनुज्ञप्ति
(अहस्तांतरणीय)
चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के
पैरा 9(2) के अंतर्गत जारी

14, बी.टी.एम. सरणी
(द्वेबोर्न रोड)
कोलकाता - 700001

तारीख.....
कारोबार अनुज्ञप्ति सं०

..... के श्री/सर्वश्री*
..... को प्राधिकृत किया जाता है कि वह/वे चाय (वितरण एवं निर्यात)
नियंत्रण आदेश, 2005 के निबन्धनों के अनुसार वितरक के रूप में आयातित चाय का कारोबार
करे/करें।

यह कारोबार अनुज्ञप्ति तब तक वैध है जब तक इसे चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण
आदेश, 2005 के पैरा 27 के अंतर्गत रद्द या निलंबित नहीं किया जाता है।

अध्यक्ष, चाय बोर्ड एवं
अनुज्ञापन प्राधिकारी

(* जो शब्द लागू नहीं हो उसे काट दें)

प्ररूप - झ
(पैरा 10(2) देखें)
लोगो के साथ होलोग्राम

उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र

चाय बोर्ड
14, बीटीएम सरणी
कोलकाता - 700001
(अहस्तांतरणीय)

प्रमाण पत्र सं०.....
सं०.....
तारीख.....

पुनर्विक्रेता/निर्यातक बीजक
तारीख.....

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 की धारा 10 के अंतर्गत जारी

क्र.सं.	बागान	बीजक	श्रेणी	कुल पेटियां	कुल शुद्ध कि.ग्रा.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

..... के मै० जो
सीटीएम के निर्यातक कारोबार अनुज्ञप्ति और उपयोक्ता कारोबार अनुज्ञप्ति धारक हैं
(दार्जिलिंग/असम/नीलगिरी/अन्य)**

..... / को चाय (वितरण
एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के निबंधनों के अनुसार एतद्वारा उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र
अनुदत्त किया जाता है। यह प्रमाण-पत्र तक वैध हैं यदि इसे रद्द या
निलंबित नहीं किया जाता है।

अध्यक्ष एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, चाय बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
अनज्ञापन नियंत्रक, चाय बोर्ड

- * (चार मूल प्रतियां आवेदक को दी जाएंगी तथा पांचवी प्रति कार्यालय में रखी जाएगी)
 ** (जो लागू न हो, उसे काट दें)

प्ररूप - ॐ
 (पैरा 14(1) देखें)

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 की धारा 14(1) के अंतर्गत कारोबार अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

(अनुज्ञापन प्राधिकारी को दो प्रतियों में भेजें)

मूल
द्वितीय

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
 चाय बोर्ड,
 14, बीटीएम सरणी
 (ब्रेबोर्न रोड)
 कोलकत्ता - 700001

महोदय,

मैं/हम* आपके द्वारा जारी की गई निर्यातक कारोबार अनुज्ञप्ति सं०.....
 तारीख..... जिसे इसके साथ वापस किया जाता है, के नवीकरण के लिए आवेदन करता
 हूँ/करते हैं ।

मैं/हम* आवश्यक ब्यौरा नीचे देता हूँ/देते हैं :-

1. आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में) (भागीदारी समुत्थान की दशा में सभी भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)

2. पूरा पता (जहां पत्राचार किया जाए)

3. अपेक्षित अनुज्ञप्ति का स्वरूप

4. विभिन्न परिसरों के, यदि कोई हों, पूरे पते, जिनमें आवेदक कारोबार करना चाहता है या जहां सम्मिश्रण और/या पैकिंग किया जाएगा
5. साम्पतिक चिन्ह
6. संदत्त फीस की रकम

मैंने/हमने* चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रक आदेश, 2005 को सावधानी पूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उक्त आदेश के उपबन्धों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

भवदीय,

.....
आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

स्थान:.....

तारीख:.....

(* जो शब्द लागू न हो उसे काट दें)

टिप्पणी 1- कम्पनियों की दशा में, यह आवेदन सचिव या प्रबंध-अभिकर्ता या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, और भागीदारी समुत्थानों की दशा में प्राधिकृत भागीदारों में से किसी भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और व्यष्टियों की दशा में "एक मात्र स्वत्वधारी" शब्द हस्ताक्षर के पश्चात् जोड़ें जाने चाहिए ।

टिप्पण 2- आवेदन पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास दो प्रतियों में भेजा जाना चाहिए ।

प्ररूप - ट

(पैरा 14(1) देखें)

चाय बोर्ड

14, बीटीएम सरणी

(ब्रेबोर्न रोड)

कोलकाता - 700001

प्रमाणित किया जाता है कि को चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के निबन्धनों के अनुसार वितरक/या निर्यातक के रूप में विनिर्मित चाय में कारोबार करने हेतु को दी गई अनुज्ञप्ति सं०..... का एतद्वारा तक के लिए नवीकरण किया जाता है, यदि चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के उपबन्धों के अधीन उसे इस तारीख से पहले पूर्व में निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता ।

.....
अनुज्ञापन प्राधिकारी

तारीख

नवीकरण सं०

[फा. सं. टी-35018/2/2005-बागान-क]

अभिजितसेन गुप्त, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****ORDER**

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 486(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), and in supersession of The Tea (Distribution and Export) Control Order 1957, except as respect things done or omitted to have been done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely,

1. Short Title and Commencement.-

- (1) This Order may be called the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005.
- (2) It shall come into force, on the date of its publication in the Official Gazette, (except paragraph 8, paragraph 11 and clause (d), (e) and (f) of paragraph 21 which shall come into force on the expiry of sixty days on and from the date of its said publication and paragraph 22 which shall come into force on expiry of thirty days of said publication).

2. Definitions: - In this Order, unless the context otherwise requires –

- (a) “Act” means the Tea Act, 1953 (29 of 1953);
- (b) “business licence” means a business licence granted under this Order;
- (c) “Certificate” means a Certificate of Origin issued by an officer of the Tea Board or any agency authorized in this behalf by the Chairman, Tea Board, showing the origin of tea, as per provisions of this Order;
- (d) “Chairman” means the Chairman of the Tea Board and includes any person exercising for the time being the powers of the Chairman ;
- (e) “distributor” means a person, firm, company, corporate body, co-operative society, engaged in the business of distribution of imported tea at the first point of distribution of such tea;
- (f) “export” with its grammatical variations and cognate expressions, means to take out of India to a place outside India;
- (g) “exporter” means a person, firm, company, corporate body, co-operative society, engaged in the business of export of tea including export of imported tea outside India;

- (h) “flavoured tea” means tea added with natural flavour and natural flavoring substances which are flavour preparation and single substance respectively, acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical process from materials of plant origin either in the natural state or after processing for human consumption provided the tea used in the manufacture of flavoured tea shall conform to the specifications for tea as indicated in sub-paragraph (v);
- (i) “Form” means any form appended to this Order;
- (j) “Geographical Indication” in relation to tea means an indication which identifies such teas as originating, or manufactured in the territory of India, where a given quality, reputation or other characteristics of such teas is essentially attributable to its geographical origin;
- (k) “green tea” means the variety of manufactured tea commercially known as green tea;
- (l) “import” with its grammatical variations and cognate expressions, means to bring into India from a place outside India;
- (m) “inspection agency” means any agency authorized by the Licensing Authority to carry out inspection in respect of tea;
- (n) “instant tea” means dried water dispersible solids obtained by aqueous extraction by an acceptable process of the leaves, buds, and stems and of materials derived therefrom, of those varieties of species *Camellia sinensis* (L) O Kuntze exclusively which are known to be suitable for making tea for consumption as a beverage, and the residue, if any of permitted process aids including tea waste;
- (o) “licensed brokers and organizer of tea auction” means tea broker and organizer of tea auction licensed by the Tea Board under the Tea (Marketing) Control Order, 2003;
- (p) “licensee” means a holder of a business licence granted under this Order;
- (q) “Licensing Authority” means the Chairman;
- (r) “Non-Preferential Certificate of Origin” means Certificate of Origin evidencing the origin of goods, which do not bestow any right to preferential tariffs as indicated in the Foreign Trade Policy of the Central Government from time to time;
- (s) “packet tea” means tea packed in unit packs or containers of type as are ordinarily put up for the purpose of retail sale under a brand name;

- (t) “permanent business licence” means a business licence which has been converted into a permanent business licence, as per sub- paragraph (3) of paragraph 8 of this Order;
- (u) “quick brewing black tea” means a product known commercially as tea, containing not less than 20% (maximum) extract and/or concentrate of tea with not more than 80% (maximum) manufactured tea in black form and conforming to the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 specifications used for brewing tea liquor in hot or cold water;
- (v) “tea” means any product manufactured from the leaves of *Camellia sinensis* (L) O Kuntze including green tea, instant tea and value-added products, commercially known as tea, namely, packet tea, tea bags, flavoured tea, quick brewing black tea and ready to drink tea (RTD) conforming to the following specifications of black tea, green tea, Kangra tea, as the case may be:-

PARAMETERS	Green tea	Black tea	Kangra tea	Instant Tea
Total Ash, per cent by mass	Between 4.0% and 8.0%	Between 4.0% and 8.0%	Between 4.5% to 9.0%	Max 20.0%
Acid Insoluble Ash, per cent by mass.	Max 1.0%	Max.1.0%	Max. 1.2%	----
Alkalinity of Water Soluble Ash (as K ₂ O) per cent by mass.	Between 1.0% and 2.2%	Between 1.0% and 2.2%	Between 1.0% and 2.2%	----
Water Soluble Ash of total ash per cent by mass	Min. 40.0%	Min.40.0%	Min. 34.0%	-----
Water Soluble Extract per cent by mass	Min. 32.0%	Min. 32.0%	Min. 23.0%	-----
Crude Fibre Content per cent by mass	Max. 17.0%	Max.17.0%	Max. 18.5%	
Total catechins per cent by mass	Min. 9.0%	-	-	
Moisture content % (m/m) Max	-	-	-	6.0%
Additional Requirements – Metallic Contaminants				
Lead mg/kg. max	10.0	10.0	10.0	
Copper, mg/kg.max	150.0	150.0	150.0	
Additional Requirements – Pesticide Residues MRL (ppm)				
Ethion 50% EC, (maximum)	5.0	5.0	5.0	
Quinalphos 41%S.L (maximum)	0.01	0.01	0.01	

Dicofol, (maximum)	5.0	5.0	5.0	
Glyphosate (maximum)	1.0	1.0	1.0	
Fenzaquin (maximum)	3.0	3.0	3.0	
Additional Requirements – Mycotoxins				
Aflatoxin (mg/kg)	0.03	0.03	0.03	

- (w) “tea bag” means packet containing tea in bags made of filter-paper, nylon net and/or any other acceptable material conforming to international norms and standards, for brewing of tea liquor by direct immersion of such bag in hot or cold water, and commercially known as tea bag;
- (x) “Tea Board” means the Tea Board established under section 4 of the Act;
- (y) “Tea (Marketing) Control Order” means the Tea (Marketing) Control Order, 2003, notified under section 30 of the Act;
- (z) “Tea (Waste) Control Order” means the Tea (Waste) Control Order, 1959, notified under section 30 of the Act.
- (za) All other words and expressions used under this Order but not defined shall have the same meanings, respectively assigned to them in the Act and the Rules made thereunder.

3. Distributors and Exporters to obtain business licence - No distributor shall carry on the business of distributing imported tea and no exporter shall export tea or export imported tea except under a business licence obtained in accordance with the provisions of this Order:

Provided that where an agent has taken out a business licence, his overseas principals shall not be required to take out a separate business licence as exporters under this Order:

Provided further that no business licence shall be required for tea exported:-

- by or on behalf of the Central Government or the Tea Board;
- by means of a postal parcel;
- as personal effects of passengers;
- for any non-commercial purposes;
- as samples to foreign buyers;

4. Application for business licence or permanent business licence – (1) Every exporter and every distributor desiring to obtain a business licence shall make an application in duplicate to the Licensing Authority in Form A.

(2) Every licensee, being an exporter, desiring to convert his business licence into a permanent business licence shall make an application, three months before the expiry of the validity of a business licence, in duplicate to the Licensing Authority in Form B.

5. Application for Certificate of Origin for teas designated as Geographical Indication- Every applicant desiring to obtain a Certificate of Origin in respect of teas proposed to be exported or distributed by him, which has been produced and manufactured in any tea producing areas in India and designated as Geographical Indication under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999 (48 of 1999), shall make an application in duplicate to the Licensing Authority in Form C.

6. Application for Non-Preferential Certificate of Origin- Every exporter desiring to obtain a Non-Preferential Certificate of Origin in respect of each consignment of tea exports shall make an application in Form D in duplicate to the Licensing Authority or to any officer of the Board or to any inspection agency duly authorised/approved by the Licensing Authority:

Provided that in case, such Certificate of Origin is not required by the foreign buyer, the exporter shall submit to the Licensing Authority a document issued by the importer to this effect before the shipment of tea.

7. Non-Preferential Rules of origin- Every exporter, desiring to obtain a Non-Preferential Certificate of Origin shall, prior to export, ensure conformity with the following rules of origin of teas meant for export and shall submit a declaration along with documents as specified in the notes attached to the Certificate of Origin as indicated in Form E:

(1) Any exporter of tea from India shall be eligible for obtaining a Certificate of Origin from the Licensing Authority, or from any officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing, duly authorized by the Licensing Authority, or from any inspection agency duly approved by the Licensing Authority, if such tea conforms to the origin requirement under any one of the following conditions:

(a) tea wholly produced or obtained in India as defined in sub-paragraph (2) of this paragraph ;

or

(b) tea not wholly produced or obtained in India provided that the said tea is eligible under sub-paragraph (3) of this paragraph.

(2) **Wholly produced or obtained :-** Within the meaning of clause (a) of sub-paragraph (1) of this paragraph, tea shall be considered as wholly produced or obtained in India if the said tea is manufactured from the leaves of *Camellia Sinensis (L) O Kuntze* grown only in India.

(3) **Not wholly produced or obtained :-** Within the meaning of clause (b) of sub-paragraph (1) of this paragraph, tea shall be considered as not wholly produced or obtained in India if any portion of the said tea has been manufactured from the leaves of *Camellia Sinensis (L) O Kuntze* grown outside the geographical limits of

India, but the final process of manufacture or production, including mixing (blending), has been performed within India.

8. Grant and refusal of business licence/permanent business licence to exporters- (1) The Licensing Authority may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to grant a business licence to any applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall be granted to the applicant.

(2) Where an application for business licence is not refused under sub-paragraph (1), the Licensing Authority shall grant the applicant a business licence in Form F.

(3) The Licensing Authority may, on receipt of application made to it under sub-paragraph (2) of paragraph 4, convert a business licence issued into a permanent business licence if:

- (a) the business licensee is an exporter;
- (b) such business licensee has not violated any provisions of the Tea Act, 1953 or Tea Rules, 1954 or Tea Board Bye-Laws, 1955 or any Order made under the Act; and
- (c) the volume of export of tea by the exporter holding the valid business license during the last three years was not less than 1,00,000 kgs annually.

(4) The Licensing Authority may refuse to grant a permanent business licence to any applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall be granted to the applicant.

(5) Where an application for permanent business licence is not refused under sub-paragraph 4, the Licensing Authority shall grant the applicant a permanent business licence in form G.

9. Grant and refusal of business licence to distributor- (1) The Licensing Authority may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to grant a business licence to any applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall be granted to the applicant.

(2) Where an application for business licence is not refused under sub-paragraph (1), the Licensing Authority shall grant the applicant a business licence in form H.

10. Grant and refusal of Certificate of Origin for teas designated as Geographical Indications- (1) The Licensing Authority or any officer of the Board not below the rank of Joint Controller of Licensing duly authorized by the Licensing Authority may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to grant a Certificate of Origin to any applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall be granted to the applicant.

(2) Where an application for Certificate of Origin is not refused under sub paragraph (1), the Licensing Authority or any officer of the Board not below the rank of Joint Controller of Licensing duly authorized by the Licensing Authority after being satisfied that the application is in conformity with the requirement as laid down under paragraph 5 and contractual obligations which the applicant has with an importer of such tea, may issue a Certificate of Origin of tea to the applicant in Form I.

11. Grant and refusal of Non-Preferential Certificate of Origin- (1) The Licensing Authority or any officer of the Board not below the rank of Joint Controller of Licensing duly authorized by the Licensing Authority, or any inspection agency duly approved by the Licensing Authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant a Certificate of Origin to any exporter and shall furnish him with the copy of the order so passed.

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall be granted to the applicant.

(2) Where an issue of Certificate of Origin in respect of any export consignment is not refused under sub paragraph (1) , the Licensing Authority or any officer of the Board not below the rank of Joint Controller of Licensing, or any inspection agency duly approved by the Licensing Authority, after being satisfied that the application is in conformity with the rules of origin as per paragraph 7 and contractual obligation which the exporter has with an importer of such tea, may issue a Certificate of Origin of tea to the exporter in respect of the consignment in Form E:

Provided that whenever the approved inspection agency issues a Certificate of Origin to any business licensee, a duplicate copy of the same along with all other supporting documents shall be furnished to the Licensing Authority or to any other Officer of the Board, duly authorized by Licensing Authority in this regard, by the said inspection agency within twenty-four hours from the time of issue of such Certificate of Origin.

12. Period of validity of business licence- (1) Every business licence for an exporter shall be valid for a period of three years from the date of its issue and every business licence once renewed shall also remain valid for a further period of three years from the date of its renewal unless the business licence is cancelled or suspended during the validity period.

(2) Every permanent business licence for an exporter shall remain valid unless subsequently cancelled or suspended.

(3) Every business licence for a distributor shall remain valid unless subsequently cancelled or suspended.

13. Period of validity of Certificate of Origin – (1) The Certificate of Origin issued under sub-paragraph (2) of paragraph 10 and under sub-paragraph (2) of paragraph 11 shall be valid only in respect of the consignment of tea to be exported.

(2) Notwithstanding the above, any Certificate of Origin shall be valid till the expiry of validity of the exporter's business licence or sixty days, whichever is earlier.

14. Renewal of business licence- (1) The Licensing Authority may, on an application made to it in duplicate, renew a business licence. Every such application for renewal shall be submitted in Form J and renewal thereof shall be granted by the Licensing Authority in Form K.

(2) Every licensee being an exporter, whose business licence has been converted into a permanent business licence under sub-paragraph (5) of paragraph 8, shall not be required to renew his business licence.

(3) In case of refusal by the Licensing Authority to convert a business licence into a permanent business licence, as per sub-paragraph (4) of paragraph 8, the exporter may apply to renew his business licence in Form J.

15. Signing of business licence or permanent business licence- Notwithstanding anything contained in paragraph 8 or paragraph 14, any business licence issued or renewed under this Order may be signed by the Secretary or by any other officer, not below the rank of Controller of Licensing of the Tea Board for and on behalf of the Licensing Authority and duly authorized by him in this regard.

16. Signing of Certificate of Origin- Notwithstanding anything contained in paragraph 10 or paragraph 11 or paragraph 13 above, any Certificate of Origin issued under this Order may be signed by the Secretary or by any officer of the Board not below the rank of Joint Controller of Licensing duly authorized by the Licensing Authority or by any inspection agency duly approved by the Licensing Authority.

17. Fee- Every application for the grant of a business licence or renewal thereof shall be accompanied by the following fees (payable in cash/demand draft), namely-

Fees for exporters:

- (a) First issue with a validity period of 3 years and subsequent renewal with a validity period of 3 years - Rs.1000/-;
- (b) For conversion into a permanent business licence - Rs.2500/-.

Fees for Distributors:

For business licence not required to be renewed - Rs.2500/-.

Fees for Certificate of Origin - Rs.100/-

18. Conditions of business licence - (1) Every business licence shall be deemed to have been granted or renewed personally to the business licensee and no business licence shall be sold or otherwise transferred.

(2) Where a business licensee sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be, shall obtain a fresh business licence in accordance with the provision of this Order.

(3) If a business licensee enters into a partnership in regard to the business covered by his business licence, he shall report the fact to the Licensing Authority within thirty days of the entering into such partnership and shall get the business licence suitably amended.

(4) Where a partnership is entered into, the partner as well as the original holder of the business licence shall be bound by the conditions of that business licence.

(5) If a partnership is dissolved, every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report of the dissolution to the Licensing Authority within thirty days thereof.

(6) Every business licensee shall produce his business licence for inspection on demand by an officer of the Tea Board duly authorised by the Licensing Authority in this behalf.

(7) If during the currency of a business licence, the business licensee intends to take any action which calls for modifications in the particulars furnished in the application on the basis of which the business licence for the time being in force

has been issued, he shall intimate his intention to the Licensing Authority at least fifteen days in advance and get his business licence suitably amended. The amendment shall be made free of fee and the amended business licence shall be valid for the residue of the period covered by the original business licence.

(8) Every business licensee shall carry out the direction of the Licensing Authority within a period as specified by the Licensing Authority.

19. Business licensees to comply with certain requirements in regard to packing, etc.- Every business licensee shall, in regard to the packing and marking of containers of tea, comply with the following requirements, namely:-

- (a) every container in which tea is packed shall bear such particulars as may from time to time be specified by the Licensing Authority ;
- (b) every container shall be so packed and sealed that the contents thereof cannot be tampered with except by making a visible opening in the container;
- (c) all plywood panels, battens covers, fittings, linings and nails used in a container of tea in bulk packed for export shall conform to the specification laid down by the Indian Standards Institution and all these components except nails shall bear the ISI certification mark:

Provided that nothing contained in this paragraph shall apply to any of the following:-

- (i) where such container even though made of plywood conforms to special specifications as to sizes, as notified by the Tea Board or as required by the buyers;
 - (ii) where such container is made of timber and not of plywood shooks; and
 - (iii) where such container contains not more than 20 kg., net or such other weight as to make it 'package tea' for the purpose of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and rules made there under;
- (d) tea in bulk packed for export shall be in tea chests of sizes : 40x50x60 cms. or 40x40x50 cms. or 40x40x60 cms. or 48x48x60 cms;
- (e) tea in bulk packed for export may be in multiwall paper sacks as per specifications of Bureau of Indian Standards (BIS):

Provided that nothing contained in this sub-paragraph will apply to the specifications and sizes agreed upon by the exporter and the foreign buyer;

- (f) an exporter shall not export any tea in bulk if it is packed in a container not conforming to the requirements of clause (c) and the person or the company packing such tea shall state on the container and the connected documents that the same are of non- standard packing.

20. Certain provisions of paragraph 19 not to apply- Nothing contained in clause (b) and (c) of paragraph 19 shall apply to the export of such consignments of tea in bulk in containers made of packing materials (other than plywood) as agreed upon by the exporter and the foreign buyer.

21. Restriction on distribution and export of tea – No exporter or distributor shall himself or by any other person on his behalf, export tea or export imported tea :

- (a) which is not packed and marked in the manner laid down in this Order; or
- (b) which is adulterated; or
- (c) the label or container whereof bears any statement which makes false claim for such tea or which is false or misleading in any material particular; or
- (d) which is not in conformity with the specifications for tea given in clause (v) of paragraph 2;
- (e) teas imported for export have to be exported within six months from the date of import into the country;
- (f) export of imported teas shall achieve at least 50% Value Addition.

Explanation – 1. Teas exported or teas imported with the intention of its export are required to conform to the specifications mentioned in clause (v) of paragraph 2 or the specifications stipulated by the consignee whichever are more stringent.

2. Tea shall be deemed to be adulterated if,-

- (a) such tea is not of nature or substance which it purports or is represented to be;
- (b) such tea contains any other substance which affects injuriously the nature, substance or quality thereof;
- (c) any inferior or cheaper substance has been substituted wholly or in part for such tea so as to affect injuriously the nature, substance or quality thereof;
- (d) such tea contains any poisonous or other ingredient which renders it injurious to health.

3. Value Addition for this purpose shall be :

$V.A = 100 \times (A-B)/B$ where

V.A. stands for Value Addition

A stands for Unit FOB price of tea exported and

B stands for Unit CIF price of imported tea

22. Restriction on distribution of imported tea- No distributor of imported tea or exporter shall himself or by any other person on his behalf import for export and distribute tea –

- (a) which is not packed and marked in the manner provided under in this Order; or
- (b) which is adulterated; or
- (c) the label or container whereof bears any statement which makes false claim for such tea or which is false or misleading in any material particular; or
- (d) which is not in conformity with the specifications for tea given in clause (v) of paragraph 2.

Explanation-

Tea shall be deemed to be adulterated if,-

- (a) such tea is not of nature or substance which it purports or is represented to be;
- (b) such tea contains any other substance which affects injuriously the nature, substance or quality thereof;
- (c) any inferior or cheaper substance has been substituted wholly or in part for such tea so as to affect injuriously the nature, substance or quality thereof;
- (d) such tea contains any poisonous or other ingredient which renders it injurious to health.

23. Power to call for export contract- Licensing Authority or any other officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing, duly authorized by Licensing Authority may, for the purpose of ensuring the adherence to any provision of this Order or for ensuring compliance with the requirement of the export obligations, call for a copy of the export contract and /or other documents relevant to the export from the exporter of tea in India, or the approved inspection agency concerned, within a time as may be specified by the Licensing Authority or such officer of the Board, duly authorized by the Licensing Authority.

24. Power to inspect the consignment prior to export- The Licensing Authority or any officer of the Board, not below the rank of Inspector or any inspection

agency duly approved and authorised by the Licensing Authority may inspect any tea meant for export (whether indigenous, imported or blended for export) to verify the compliance with any or all the provisions of this Order.

25. Power to prevent shipment of tea from India- Licensing Authority or any officer of Board, not below the rank of Controller of Licensing, duly authorised by the Licensing Authority, may issue direction to the appropriate Customs or Port authority, or to the shipper or his agent, not to allow shipment of tea from India, or prevent loading of the consignment in a vessel, or offload any consignment from such vessel if loading has been done, or recall any consignment that has been shipped, if it is suspected that there has been violation of any contractual obligation or any other provision of this Order by the exporter.

26. Power to register the export contract- Licensing Authority or any officer of Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing duly authorized by the Licensing Authority, may register the export contract as per the procedure to be stipulated by the Licensing Authority from time to time before shipment of tea from India under such export contract.

27. Suspension or cancellation of business licence or permanent business licence-

- (1) The Licensing Authority may, after giving the holder of a business licence or permanent business licence as an exporter or distributor an opportunity of being heard, cancel or suspend the business licence or permanent business licence on any one of the following grounds, namely,:
 - (a) that the business licence or permanent business licence has been obtained by misrepresentation as to a material particular;
 - (b) that the licensee or permanent licensee has not observed or performed his contractual obligation to a foreign buyer or seller relating to any contract for export of tea or for import of tea as the case may be;
 - (c) any of the provision of the Tea Act, 1953, Tea Rules, 1954 or Tea Board Bye-Laws, 1955, or any of the provisions of any Order issued under the Act or any condition of the business licence or permanent business licence has been contravened;
 - (d) that the exporter holding permanent exporter business licence has not exported any tea from India during any of the preceding three consecutive years;
 - (e) that the business licensee or permanent business licensee has failed to comply with the directives issued by the Licensing Authority or any other persons duly authorized by the Licensing Authority;
 - (f) closure of business of the distributor;

(g) violation of any of the provisions of this Order.

- (2) Every order suspending or cancelling a business licence shall be in writing and shall specify the reasons for the suspension or cancellation and shall be communicated to the business licensee within fifteen days of the passing thereof.
- (3) Where a business licence is suspended or cancelled under this Order, the holder of a business licence shall not be entitled to claim from the Tea Board or the Central Government any compensation or refund of business licence fee or any damages occurring for such suspension or cancellation.

28. Suspension or cancellation of Certificate of Origin – (1) The Licensing Authority, may after giving the holder of a Certificate of Origin an opportunity of being heard, cancel or suspend the Certificate on any of the following grounds, namely:

- (a) that the Certificate has been obtained by misrepresentation as to a material particular;
- (b) that the holder of the certificate has not observed or performed his contractual obligations to a foreign buyer relating to any contract for export or distribution of tea, the label or container whereof bears any statement or marks which makes false claim for such tea or which is false or misleading and deceptive in any material particular; and
- (c) that any of the provisions of the Act or this Order or any other Order under the Act has been contravened.

(2) Every order suspending or cancelling a Certificate of Origin shall be in writing and shall specify the reasons for the suspension or cancellation and shall be communicated to the holder of the Certificate within fifteen days of passing of such order.

(3) Where a Certificate is suspended or cancelled under this Order, the holder of the Certificate shall not be entitled to claim from the Tea Board or the Central Government any compensation or refund of any fee or any damages so occurring for such suspension or cancellation.

29. Taking of samples – The Licensing Authority may take or authorize any officer of the Tea Board, not below the rank of Inspector or any inspection agency, to take any sample of not more than one kilogram in weight drawn from any stock of tea for the purpose of ascertaining whether such sample conforms to the requirements laid down for tea or whether such sample conforms to the rules of

origin for the purpose of issuing Certificate of Origin and/or to ensure conformity with any or all the provisions of this Order. No charges shall be payable for taking the samples.

30. Submission of information or returns by the business licensee- Every business licensee and/or every inspection agency duly approved by the Licensing Authority shall furnish to the Licensing Authority or to any officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing, monthly returns and such other information as may be called for from time to time.

31. Maintenance of accounts etc. and production of such accounts etc. by licensees - (1) The Licensing Authority may issue directions to any licensee:

- (a) to maintain such records as to his purchases, sales, exports or other matters connected with his business and in such form as may be specified in the direction ;
- (b) to submit to such authority returns or statements in such form and containing such information relating to his business and within such time as may be specified in the direction ; and
- (c) to produce for inspection to such officer of the Tea Board as may be authorised in this behalf by the Licensing Authority such books, accounts and records relating to his business as may be specified in the direction ;

(2) Any direction of the nature referred to in sub-paragraph (1) may be issued generally to all distributors or exporters or to any class thereof.

32. Service of orders and directions -- Any order of direction made or issued by the Licensing Authority or by any other authority under this Order shall -

- (a) in the case of an order of a general nature or affecting a class of persons, be notified in the Official Gazette ; and
- (b) in the case of an order directed to a specified individual, be served on such individual -

- (i) by delivering or tendering it to that individual, or
- (ii) if it cannot be so delivered or tendered, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual lives, or carries on business or personally works for gain and written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighborhood.

33. Compliance of directions- Every exporter or distributor shall carryout the directions issued under any provision of this order by any officer of the Board not below the rank of Joint Controller of Licensing duly authorized by the Licensing

Authority or by any inspection agency duly approved by the Licensing Authority within the time specified therein.

34. Power to issue directives by the Licensing Authority or any officer of the Board authorized by the Licensing Authority- The Licensing Authority or any officer, not below the rank of Controller Licensing, duly authorized by the Licensing Authority, may issue such directive that he may think fit to the licensee or to a class of licensees at any time, for compliance within the time period stipulated in such directive with regard to the adherence to the contractual obligations, maintenance of requisite quality of tea and packaging materials as well as on any matter relating to tea shipments, including stoppage and recall of shipments for violation of any of the provisions of the Control Order or on any other matter relating to import or export of tea.

35. Power of entry and search and seizure etc. - (1) The Licensing Authority or any officer of the Tea Board, not below the rank of Inspectors, specially authorised by him in writing in this behalf, may enter and search at any time any land, building premises, vessels, air-craft or plant or machinery upon or in which the Licensing Authority has reason to believe that tea is stored, carried, distributed or sold in contravention of the provisions of this Order and may seize any tea or product of tea which appears to be stored, carried, distributed or sold in contravention of the provisions of this Order.

(2) The following procedure shall be adopted relating to search and seizure-

- (a) any person residing in or being in charge of such place shall allow the duly authorised officer on production of the authority issued by the Licensing Authority free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein;
- (b) before making a search, such authorised officer shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situated or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to the search, to attend and witness the search;
- (c) the search shall be made in their presence, and a list of all the products of tea or related items seized in the course of such search and of the places in which they are found shall be prepared by the authorised officer and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this paragraph shall be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned by it;

(d) the occupant of the place searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared and duly signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person.

(3) Any officer taking action under this paragraph shall submit a report to the Licensing Authority within twenty four hours of taking such action.

36. Power to approve inspection agency- The Licensing Authority may approve agencies to inspect the tea meant for export on their credential through an technical committee constituted by the Licensing Authority for this purpose and such approved inspection agency may inspect tea along with its container or packs and other documents meant for export to ensure conformity with the provision of this Order. The function of such approved agency may be stipulated by the Licensing Authority from time to time.

37. Power to approve tea tasters for constituting a panel- The Licensing Authority or any officer of the Board, not below the rank of Executive Director, may from time to time approve tea tasters for the purpose of constituting a panel for tasting tea from the sample drawn by the Licensing Authority or any officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing or any inspection agency duly authorized by the Licensing authority and such panel comprising one or more tea tasters from the approved list shall submit a report of the tea tasting to the Licensing Authority or the authorized officer of the Board or any inspection agency within the time specified by the Licensing Authority or such officer or inspection agency:

Provided that validity period for grant of approval to a tea taster to serve on the panel may be specified by the Licensing Authority from time to time:

Provided further that the Licensing Authority may cancel the approval granted to any tea taster for the above purpose, before the expiry of the validity period.

38. Power to suspend or cancel the approval of the inspection agency- The Licensing Authority may, after giving an opportunity of being heard, for reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel the approval of an inspection agency on any of the following grounds, namely,:

- (a) that the inspection agency has obtained the approval by misrepresentation as to a material particular;
- (b) that the approved inspection agency has not complied with any of the directions of the Licensing Authority or failed to perform its obligations laid down in the rules, orders or guidelines in force under the Act;
- (c) that any of the provisions of this Order have been contravened;

- (d) that the inspection agency has issued a report or certificate indicating in respect of any tea that such tea conforms to the specifications laid down in the Order, whereas such tea is not as per the specifications of this Order;
- (e) that the inspection agency has issued a report or certificate indicating the non-conformity of tea with the specification laid down in this Order, whereas such tea actually conforms to such specifications;
- (f) that the inspection agency has issued Certificate of Origin in respect of any consignment of tea under paragraph 11, whereas tea of such consignment actually is not in conformity with the provisions under paragraph 7;
- (g) that the inspection agency has refused to issue Certificate of Origin in respect of any consignment of tea under paragraph 11, whereas tea of such consignment actually is in conformity with the provisions under paragraph 7;
- (h) that the inspection agency has issued a report or certificate indicating in respect of the export of a tea consignment that such export conforms to the terms and conditions laid down in the export contract, whereas the same is not as per the contractual obligations.

39. Appeal – (1) Any person aggrieved by an order;

- (a) refusing to grant a certificate by the approved inspection agency; or
- (b) delay in issuing certificate by the approved inspection agency;

may within a period of one month from the date of such refusal or delay, appeal to the Licensing Authority.

(2) Licensing Authority shall within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal, dispose of the same and communicate the decision to the appellant.

(3) Any person aggrieved by an order;

- (a) refusing to grant a business licence or renew a business licence; or
- (b) cancelling or suspending a business licence or certificate,

may within a period of three months from the date of the order, appeal to the Central Government.

(4) the Central Government shall, within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal, dispose of the same and communicate the decision to the appellants. The decision of the Central Government shall be final.

40. Power to relax – With the prior approval of the Central Government, the Licensing Authority may, of its own or on an application submitted by a licensee, if satisfied that in enforcing compliance of any of the provisions of this Order, undue hardship would result to any licensee, for reasons to be recorded in writing, relax any such provision of this Order or exempt any licensee from complying with such provisions of this Order.

41. Penal provision for contravention of any provisions of this Order- Any contravention of any provisions of this Order by any exporter or distributor or any person acting on his behalf, shall attract the provisions of section 41 of the Tea Act, 1953.

FORM - A

(See paragraph – 4(1))

Application for business licence under paragraph 4 (1) of the Tea (Distribution and Export) Control Order 2005.

ORIGINAL*
DUPLICATE

To,

The Licensing Authority,
Tea Board,
14, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
KOLKATA-1.

Sir,

I/We* apply for a business licence to carry on business in manufactured tea as Distributors* Exporter

I/We* furnish the necessary particulars below :-

1. Name of applicant (in block letters)
(in the case of a partnership concern the names of all the partners should be given).....
2. Full address (to which correspondence should be sent)
.....
3. Nature of business licence required Distributors business licence*
Exporter's business licence

4. Full address of the various premises, if any, in which the applicant intends to do business, or where blending and /or packing will be done
5. Proprietary marks
6. Amount of fees paid

I/We* have carefully read and understood the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, and hereby agree to abide by the provisions of the said Order.

Yours faithfully,

Place.....

Date.....

.....
Signature (s) of applicant (s)

(*Score out the word not applicable)

Note :- This application should be signed in the case of Companies by the Secretaries, or Managing Agents, or an authorised Agents and in the case of partnership concerns by one of the authorised partners, and in case of Individuals the word 'Sole Proprietor', should be appended after signature.

FORM - B

[See paragraph 4(2)]

Application under paragraph 4(2) of the Tea (Distribution & Export) Control Order 2005, for conversion of a business licence into a permanent business licence.

(To be sent to Licensing Authority in duplicate)

To

The Licensing Authority,
Tea Board,
14 BTM Sarani (Brabourne Road),
KOLKATA- 700 001

Sir,

I/We* apply for the conversion of Exporter's business licence No..... dated issued by you into permanent business licence which is returned herewith.

I/We* mention the necessary particulars below :-

1. Name of applicant (in block letters) (in case of partnership concern the names of all the partners should be given)
2. Full Address (to which correspondence should be sent)
3. Nature of business licence required.....
4. Full address of the various premises, if any in which the applicant intends to do business, or where blending and/or packing will be done.....
5. Proprietary Marks.....

I/We* have carefully read and understood the Tea(Distribution & Export) Control Order, 2005 and hereby agree to abide by the provisions of the said order.

Yours faithfully,

Signature(s) of the applicant(s)

Place _____

Date _____

(*Score out the word not applicable)

FORM C
(See paragraph 5)

To

The Licensing Authority,
Tea Board,
14, BTM Sarani,
KOLKATA- 700 001

Dated _____

SIR,

I/We* apply for grant of Certificate of Origin for teas produced, grown and manufactured in India in the geographical indication of Darjeeling*/Assam*/Nilgiris* and any other tea producing areas as exporter/distributor* of the said teas.

MY/OUR* User Business licence Number of (Darjeeling^{CTM}/Assam*/Nilgiris*) is

My/our* EXPORTER BUSINESS LICENCE Number is
.....dt.....

Reseller/Exporter Invoice No.....dt.....

We hereby apply for a Certificate of Origin for the following teas.

S. No.	Purchase details				Invoice	Grade	Number of Packing	Net Weight	Port of Destination (for Export)
	Garden	Auction	Private	Consign-ment					
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

I/We* hereby declare that I/We* have carefully read and understood the provisions of the Tea Act, 1953, Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, Tea (Waste) Control Order, 1959 and the Tea (Marketing) Control Order, 2003. I/We* also declare that the aforesaid information given by me/us* are true to the best of my/our* knowledge, belief and information.

Place _____

Yours faithfully,

Signature(s) of the Applicant

(*Strike out whichever is not applicable)

FORM D
(see paragraph 6)

To

The Licensing Authority,
Tea Board,
14, B.T.M.Sarani
Kolkata-700 001.

Sir

I/We* apply for grant of Non Preferential Certificate of Origin in respect of Export of tea from India as per the following particulars:

- 1) Name of the Exporter with
Exporter's business licence No: and of issue.
- 2) Name of the consignee
- 3) Name of the Country of destination

- 4) Name of the Port of destination
- 5) Probable date of shipment from the Port in India.
- 6) Name of the Port in India from which shipment is to take place
- 7) Shipping Bill No. & Date.(if available)

The following documents are also enclosed

- 1) Two copies of invoices
- 2) Details of quantum/origin of inputs / consumables used in the export product
- 3) Format for Certificate of Origin duly filled in
- 4) Admissible fee of Rs.....

I/We* hereby declare that I/We* have carefully read and understood the provision of Tea Act 1953, Tea (Distribution & Export) Control Order 2005, Tea (Waste) Control Order 1959 and the Tea (Marketing) Control Order 2003. I/We* also declare that the aforesaid information given by me /us are true to the best of my/our knowledge, belief and information.

Yours faithfully,

Date: _____

Place: _____

Signature(s) of the applicant.

FORM E
{see paragraph 11(2)}

Format of the Certificate of Origin (Non Preferential)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)			Reference No.		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)			CERTIFICATE OF ORIGIN (NON PREFERENTIAL) (Combined declaration and certificate)		
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Item No.	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin criteria (see notes)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices.

<p>11. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of inspection carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p>	<p>12. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in India and that they comply with the origin criteria as given below for exports to</p> <p>(name of importing country)</p>
<p>Place and date, signature and stamp of authorised signatory.</p>	<p>Place and date, signature and stamp of authorised signatory.</p>

NOTES:**I. Eligibility criteria to obtain Certificate of Origin**

- 1) Any exporter of tea from India shall be eligible for obtaining a Certificate of Origin, if such tea conforms to the origin requirement under any one of the following conditions:
 - a) Tea wholly produced or obtained in India as defined in Para (2) below ; or
 - b) Tea not wholly produced or obtained in India provided that the said tea is eligible under Para (3) below.
- 2) Wholly produced or obtained: - Within the meaning of para (1)(a) above, tea shall be considered as wholly produced or obtained in India if the said tea is manufactured from the leaves of *Camellia Sinensis (L) O Kuntze* grown only in India.
- 3) Not wholly produced or obtained: -Within the meaning of para (1)(b) above, tea shall be considered as not wholly produced or obtained in India if any portion of the said tea has been manufactured from the leaves of *Camellia Sinensis (L) O Kuntze* grown outside the geographical limits of India, but the final process of manufacture or production, including mixing (blending), has been performed within India.

II. Entries to be made in Box 8 of the Certificate of Origin.

- (a) For tea wholly produced or obtained as per para (2) above , enter the words “**India Tea** ” in box no.8.
- (b) For tea not wholly produced or obtained as per para (3) above, enter the words “ India Tea (not less than 90% by weight of tea)” in case Indian tea content in the export is not less than 90% by weight and if this condition is not fulfilled, then enter the words “Blended Tea of different origin and packed in India” in box no.8 along with the details of consignment of tea in a separate sheet as per Format below:

1. Name of the Exporter with Registered/Head office address

2. Name of the Importer with Registered/Head office address
3. IEC Code no.
4. Gross weight of tea (in kgs) in the consignment
5. Net weight of tea (in kgs) in the consignment
6. Details of inputs used in Export product.

Countries of Origin	Details of quantity of tea of different origin and origin of other inputs /consumables used in the export product.	Description of export product i.e. whether bulk or packet or tea bags or instant tea or flavoured tea .	Packing details

FORM - F

[See paragraph 8(2)]

TEA BOARD

Business licence for carrying business as **Exporter**

(Not transferable)

Issued under paragraph 8(2) of the Tea (Distribution and Export)

Control Order, 2005.

14, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road)
Kolkata -700 001.

Dated.....

Business licence No.

Shri/Sarvashri*.....
.....of.....is/are
hereby authorised to carry on business in manufactured tea as Exporter in terms of
the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005.

This business licence is valid up to and including..... unless
cancelled or suspended before that date under paragraph 27 of Tea (Distribution
and Export) Control Order, 2005.

Chairman, Tea Board
Licensing Authority.

(*Score out the word not applicable)

FORM G
[See paragraph 8(5)]

TEA BOARD
14, BTM SARANI
(BRABOURNE ROAD)
KOLKATA- 700 001

Certified that the business licence No. _____ granted on the _____ to _____ carry on the business in manufactured tea as an exporter in terms of the Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005 is hereby authorised to carry on permanent basis unless cancelled or suspended by the Licensing Authority under the paragraph 27 of the Tea (Distribution & Export) Control, Order, 2005.

Licensing Authority

Dated _____

Permanent Business licence Number _____

FORM - H
[See paragraph 9(2)]

TEA BOARD

Business licence for carrying business as **distributor**
(Not transferable)
Issued under paragraph 9(2) of the Tea (Distribution and Export)
Control Order, 2005.

14, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road)
Kolkata -700 001.

Dated.....

Business licence No.

Shri/Sarvashri*
.....of.....is/are
hereby authorised to carry on business in imported tea in India as distributor in terms of the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005.

This business licence is valid unless cancelled or suspended under paragraph 27 of Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005.

Chairman, Tea Board &
Licensing Authority.

(*Score out the word not applicable)

FORM I
(see paragraph 10(2))
Hologram
With
Logo
CERTIFICATE OF ORIGIN

TEA BOARD
14 BTM SARANI
KOLKATA- 700 001
(Not Transferable)

Certificate Number _____ Reseller/Exporter Invoice No.....
Dated _____ Dated.....

Issued under paragraph 10 of the Tea (Distribution and Export) Control, Order, 2005

S. No.	Garden	Invoice	Grade	Total Chests	Total Net Kgs.
1.					
2.					
3.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10					

M/s. _____ of

_____ holding Exporter's business licence and user business licence of CTM (Darjeeling/Assam/Nilgiris/Others)**

_____ is/are** hereby granted Certificate of Origin in terms of the Tea(Distribution and Export) Control Order, 2005. The Certificate is valid up to _____ unless cancelled or suspended.

For and on behalf of the Chairman and Licensing Authority, Tea Board
Controller of Licensing, Tea Board

*(Four Originals to be given to the applicant and the fifth to be retained in the Office)

***(Strike out whichever is not applicable)

FORM - J

(See paragraph 14(1))

Application under paragraph 14(1) of the Tea (Distribution and Export) Control Order 2005, for renewal of business licence.

(To be sent to Licensing Authority in Duplicate)

ORIGINAL*
DUPLICATE

To,

The Licensing Authority,
Tea Board,
14, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road)
Kolkata - 700 001.

Sir,

I/We* apply for the renewal of Exporter's business licence No.....dated..... issued by you, which is returned herewith.

I/We* furnish the necessary particulars below :-

1. Name of applicant (in block letters) (in case of partnership concern the names of all the partners should be given)
.....
2. Full address (to which correspondence should be sent)
.....
3. Nature of business licence required.....
4. Full address of the various premises, if any in which the applicant intends to do business, or where blending and/or packing will be done.....
5. Proprietary Marks
6. Amount of fees paid.....

I / We* have carefully read and understood the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, and hereby agree to abide by the provisions of the said Order.

Yours faithfully,

Place.....

Date.....

Signature(s) of the applicant(s)

(*Score out the Word not applicable)

Note 1-- This applicant should be signed in the case of Company by the Secretary or Managing Agent or an authorised agent and in the case of partnership concerns by one of the authorised partners and in case of individuals the words 'Sole Proprietor' should be appended after signature.

Note 2-- The application should be sent to the licensing authority in duplicate.

FORM K

{see paragraph 14(1)}

TEA BOARD

14, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
Kolkata - 700 001.

Certified that the business licence No..... on granted on the to..... to carry on the business in manufactured tea as distributor/or exporter in term of the Tea (Distribution Export) Control Order, 2005 is hereby renewed until,..... unless previously cancelled or suspended before that date under the provisions of the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005

Date

Renewal No.....

Licensing Authority

[F. No. T-35018/2/2005-Plant-A]
ABHIJIT SENGUPTA, Addl. Secy.